सत्यमेव जयते

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी

राजभाषा

रत्नसिंधु

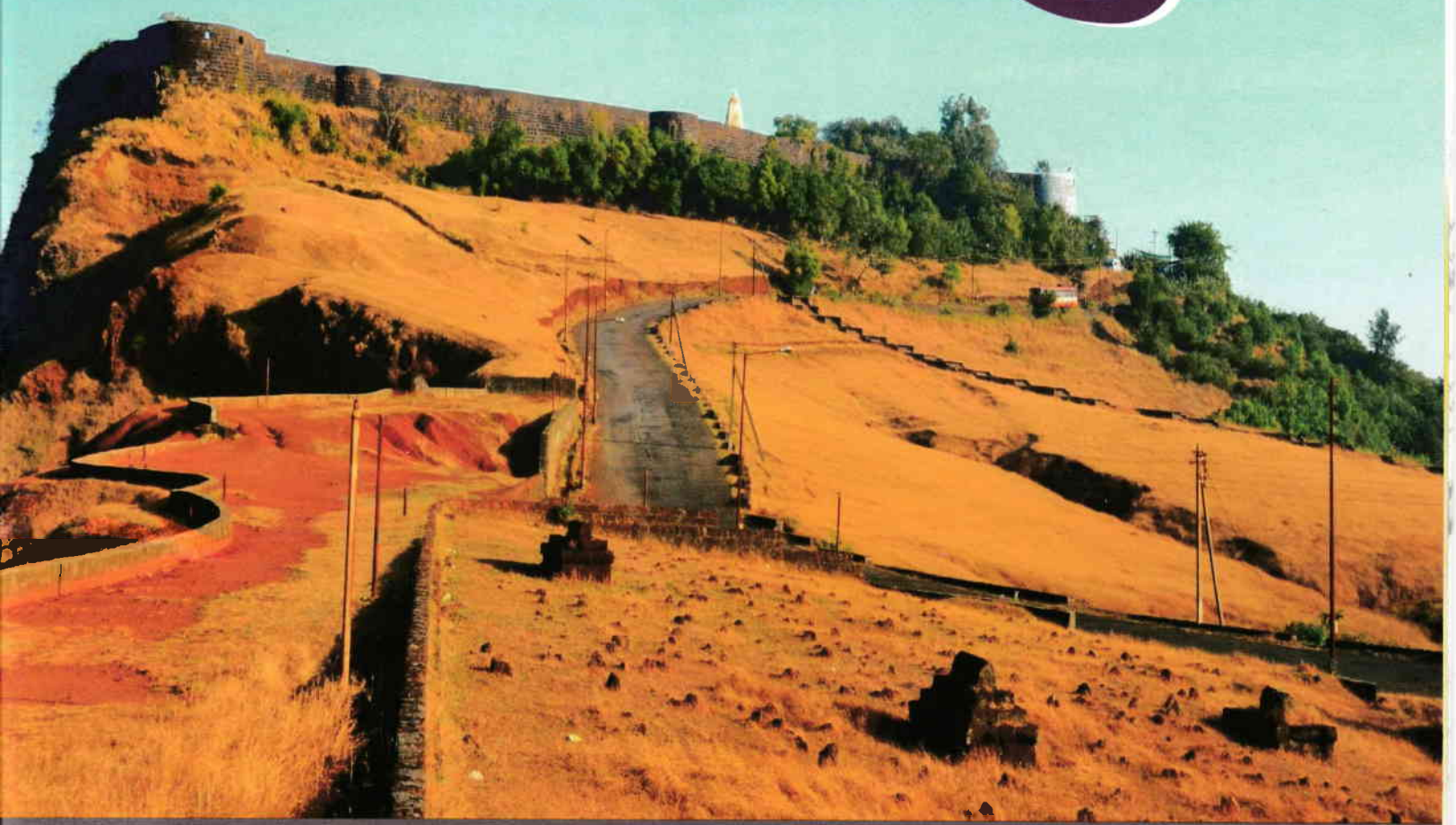

अंक : चतुर्थ, अप्रैल 2014

संयोजक

बैंक ऑफ़ इंडिया

रिश्तों की जमापूँजी

रत्नागिरी अंचल

हिंदी अर्ध वार्षिक पत्रिका

सदस्य कार्यालय प्रमुख

श्री. वी. वी. बुचे
उप महाप्रबंधक
बैंक ऑफ इंडिया

एन. रामबाबू
आँचलिक प्रबंधक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र

श्री. बाळकृष्ण दिगंबर कानडे
सहायक महाप्रबंधक
भारतीय स्टेट बैंक

एन्. एम्. तेलंग
क्षेत्रीय रेल प्रबंधक
कार्यालय, कोंकण रेल्वे कॉ. लि., रत्नागिरी

श्री. रवि मेहरोत्रा
आयकर सहायक आयुक्त
आयकर कार्यालय, रत्नागिरी

भारत रा. नवले
सहायक आयुक्त
केंद्रीय उत्पाद शुल्क का मंडल कार्यालय

डा रविंद्र डांगे (आय.ए.एस.)
उप आयुक्त
सीमा शुल्क मंडल कार्यालय

श्री. पाटील जी. आर.
अधिक्षक डाक कार्यालय

श्री. संजय खाडे
आकाशवाणी रत्नागिरी

श्री. एस. जी. गलगले
अपर मुख्य अभियंता (सिविल)
न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

एम. एस. एस. इब्राहिम
मुख्य प्रबंधक
युनियन बैंक, रत्नागिरी

श्री. दत्तात्रय पांडुरंग पुरोहित
वरिष्ठ मंडल प्रबंधक
दि न्यु इंडिया एश्युअरन्स कं. लि.

श्रीमती वत्सा वर्गीस
शाखा प्रबंधक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रत्नागिरी

श्री. रवि मेलवंकी
वरिष्ठ शाखा प्रबंधक
सिंडीकेट बैंक

श्री. रमेश रामचंद्र खाडे
क्षेत्रीय प्रबंधक
विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक

महतेश नरगुंद
शाखा प्रबंधक
विजया बैंक

श्री. सागर मेश्राम
प्रबंधक
देना बैंक

शत्रुघ्न कटारा
प्रबन्धक
युको बैंक, रत्नागिरी 2172

श्री. देवदास देवरुखकर
सहाय्यक प्रबंधक
युनायटेड इंडिया एन्शुरन्स कं

श्री. अजयकुमार
वरिष्ठ शाखा प्रबंधक
भारतीय जीवन बीमा निगम

श्रीमती उषा विनोद हटवार
शाखा प्रबंधक
इंडियन ओवरसीज बैंक

श्री. संदीप मुसले
शाखा प्रबंधक
इंडियन बैंक, रत्नागिरी

श्री. राजेशकुमार
शाखा प्रबंधक
ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स

श्री. दीपक वसंत चव्हाण
मुख्य प्रबंधक
बैंक ऑफ बडौदा

श्री. एस. एस. राजने
दूरदर्शन केंद्र
सहायक अभियंता दूरदर्शन रत्नागिरी

श्री. रामचंद्र कुलकर्णी
शाखा प्रबधक
कार्पोरेशन बैंक

रविकुमार मीना
शाखा प्रबंधक
आंध्रा बैंक

वेंकटेश इनपकोल्लु
प्रबंधक
इलाहाबाद बैंक

श्री. कश्यप वरुण
शाखा प्रबंधक
केनरा बैंक

आई. यू. पठाण
वरिष्ठ प्रबंधक
नैशनल एश्योरन्स कंपनी

टेलीफैक्स / Telefax : 022 - 27560225
ई-मेल / E-mail : ddimpol-mum@nic.in

भारत सरकार
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम)
Government of India
Ministry of Home Affairs, Deptt. of Official Language
Regional Implementation Office (W.R.)

दिनांक 06.03.2014

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी द्वारा गृह पत्रिका 'रत्न सिंधु' का चतुर्थ अंक प्रकाशित किया जा रहा है । आशा है यह गृह पत्रिका पाठकों को सारगर्भित पाठयसामग्री उपलब्ध कराएगी तथा राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार एवं कार्यान्वयन में अपनी अनूठी भूमिका अदा करेगी । मैं इस पत्रिका के सफल प्रकाशन की शुभकामनाएं देता हूं तथा इस पत्रिका के प्रकाशन से जुडे हुए सभी विद्वजनों के प्रयास की सराहना करता हूं ।

(विनोद कुमार शर्मा)
उप निदेशक(कार्यान्वयन)

अध्यक्ष एवं संरक्षक की कलम से....

साथियों,

आपके हाथ में राजभाषा 'रत्नसिंधु' का चतुर्थ अंक सौंपते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है. हमारी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति आप सभी के सहयोग से हर एक कार्य में सफल हो रही है. हिंदी भारतवर्ष में रहनेवाली आम जनता की भाषा है, जिससे केवल जनता ही नहीं बल्कि पूरा देश एक शृंखला में जुड़ा है. हिंदी की लिपि देवनागरी होने से क्षेत्रीय भाषा मराठी और हिंदी में अधिक फर्क नहीं है, इसी कारण हिंदी हमें अपनाने में कोई कठिनाई नहीं आती, इससे हम गर्व ही महसूस करते हैं. हम सरल हिंदी भाषा का प्रयोग करके हिंदी को बढ़ावा दे सकते हैं. कार्यालयीन कामकाज में जटिल हिंदी के प्रयोग की जगह आसान शब्दों का प्रयोग करके कर्मचारियों को प्रेरणा और प्रोत्साहन देकर हिंदी को अपनाएं तो जरूर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते है.

पत्रिका में सम्मिलित विषयों के साथ-साथ हम आगे नये-नये विषयों को तथा कोंकण की निसर्गरम्यता को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे.

मंगल कामनाओं सहित,

(वी. वी. बुचे)

अध्यक्ष एवं उप महाप्रबंधक

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी.

संदेश

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी द्वारा प्रकाशित रत्नसिंधु पत्रिका राजभाषा कार्यान्वयन में उपयोगी साबित होगी, इस विश्वास के साथ पत्रिका प्रकाशित की जा रही है। विश्वास के साथ समिती के सदस्यों के बीच तालमेल भी आवश्यक हैं। यह सर्वविदित सत्य है कि प्रयासों से ही सफलता मिलती है।

पत्रिका में यदि अधिक से अधिक सदस्यों को सम्मिलित किया जाये तो पत्रिका निखर उठती है। आपकी यह पत्रिका रत्नागिरी नगर के राजभाषा कार्यान्वयन का एक स्पष्ट और विश्वसनीय आईना साबित हो, यह लक्ष्य हमेशा रहना चाहिए।

राजभाषा हिन्दी तथा मराठी दोनों भाषाओं की लिपि देवनागरी है इसलिए इसमें न केवल स्टाफ सदस्य बल्कि उनके परिवार के सदस्यों की भी रचनाएँ प्रकाशित हो तो रत्नसिंधु अपने लक्ष्य में सफल हो सकेगी ।

शुभकामनाओं सहित,

सुभाष अरोड़ा
महाप्रबंधक
बैंक ऑफ इंडिया

संदेश

नगर राजभाषा समिति, रत्नागिरी से प्रकाशित रत्नसिंधु पत्रिका सर्जनात्मकता का एक केंद्र है जहां पर भावनाएँ, विचार, चिंतन, तार्किकता आदि को अभिव्यक्त करने का निरंतर अवसर मिलते रहता है। रत्नसिंधु पत्रिका मात्र सर्जनात्मकता का ही केंद्र नहीं है बल्कि इसके द्वारा हिन्दी भाषा के लेखन शैली में भी निखार आता है। यह पत्रिका हिन्दी में रचना यात्रा का एक दस्तावेज भी है। रत्नागिरी नगर स्थित समस्त सरकारी कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों का एक साझी पत्रिका है रत्नसिंधु। इस पत्रिका के रूप, रंग, स्तरीय सामग्री का दायित्व केवल इस पत्रिका के संपादक का ही नहीं है बल्कि इस समिती के सभी सदस्य कार्यालयों का संयुक्त दायित्व है कि रत्नसिंधु को अपनी रचनाओं से सँवारे और सजाएँ।

रत्नागिरी से प्रकाशित रत्नसिंधु देश के कई स्थानों तक पहुंचेगी और जहां भी जाएगी रत्नागिरी के विभिन्न कार्यालयों के साथियों के लेखन के संग रत्नागिरी नगर के राजभाषा कार्यान्वयन की झलक भी साथ ले जाएंगी। रत्नागिरी के समस्त सरकारी कार्यालयों में राजभाषा की प्रतिभाएँ हैं इसलिए रत्नसिंधु इन सभी प्रतिभाओं को कुशलतापूर्वक जोड़ने में कामयाब होगी, यह विश्वास है। रत्नसिंधु पत्रिका का लेखन, सम्पादन, पत्रिका का कलेवर आदि का प्रभाव इस पत्रिका की सम्पूर्ण गुणवत्ता में सतत निखार लाने में सहयोगी हो, यही शुभकामना है।

धीरेन्द्र सिंह
मुख्य प्रबन्धक
राजभाषा विभाग
बैंक ऑफ इंडिया

संपादकीय...

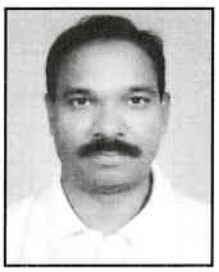

राजभाषा रत्नसिंधु पत्रिका का चतुर्थ अंक पाठकों के सामने प्रस्तुत है. यह केवल आपके सहयोग तथा टीमवर्क का प्रतीक है जिसमें, सभी सदस्य कार्यालयों का योगदान तथा श्री. विनोद कुमार शर्मा, उपनिदेशक, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग का मार्गदर्शन प्राप्त है. आपके सहयोग एवं मार्गदर्शन के इस शृंखला में ही समिति ने नई प्रौद्योगिकी को अपनाकर अपना तृतीय अंक ई पत्रिका के रुप में प्रकाशित किया था. लेकिन इस ई पत्रिका का प्रयोग सीमित रहा, सभी नराकास तक हम पहुंच नहीं सके और यही मंच हमें उपलब्ध है जो हमें वहां तक पहुंचा सकता हैं. इन सीमाओं को देखकर ही पत्रिका का चतुर्थ अंक मुद्रित करने का निर्णय आप सभी ने लिया और पत्रिका आपके सामने प्रस्तुत भी हो गई.

राजभाषा रत्नसिंधु में ग्लोबल वार्मिंग, रहीम जी की हिंदी साहित्य संपदा, आदिवासी के जीवन की पहचान, काव्य, तथा हास्य-व्यंग्य आदि विविध विषयों को स्पर्श करके एक सामाजिक परिवेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है. समिति हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु विविध उपलब्धियों का प्रयोग कर रही है, जिस में हिंदी प्रतियोगिताएं, सदस्य कार्यालयों का दौरा, कार्यालयों का ऑनलाइन पंजीकरण तथा यूनिकोड प्रशिक्षण का आयोजित किया गया. समिति के प्रगति हेतु आपके सुझावों का स्वागत है.

आपके सहयोग की अपेक्षा सहित,
धन्यवाद।

रमेश गायकवाड
सदस्य सचिव,
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी

: अध्यक्ष :
वी. वी. बुचे
अध्यक्ष एवं उप महाप्रबंधक,
बैंक ऑफ इंडिया

❖

: संपादक :
रमेश गायकवाड
सदस्य सचिव
एवं प्रबंधक राजभाषा,
बैंक ऑफ इंडिया

❖

कोर कमेटी सदस्य

- **पुरुषोत्तम डोंगरे**
  आकाशवाणी
- **जनार्दन शिंदे**
  कोंकण रेल्वे
- **गजानन करमरकर**
  डाक कार्यालय
- **लक्ष्मीकांत भाटकर**
  सीमा शुल्क
- **सतीश रानडे**
  न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी

❖

मुखपृष्ठ :
नितिन गुप्ता
नेशनल एश्योरन्स कंपनी रत्नागिरी

संपर्क कार्यालय
अध्यक्ष
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति,
बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय,
शिवाजीनगर, रत्नागिरी, महाराष्ट्र-415639

प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार रचनाकारों के स्वयं के है। अतः यह आवश्यक नहीं कि इनसे सम्पादक मण्डल सहमत हो।

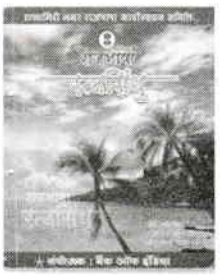
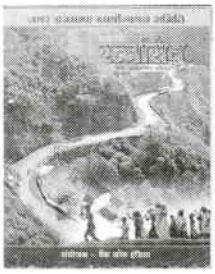
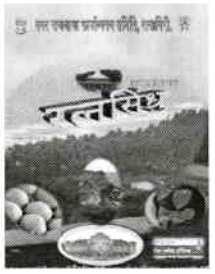
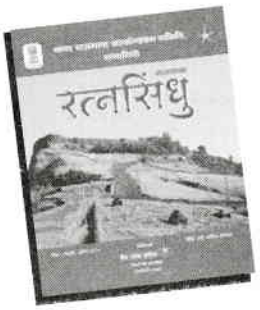

अंतरंगा

1. भारत सरकार की राजभाषा नीति ----- 3
2. ग्लोबल वार्मिंग से सावधान -------- 7
3. 'मानवता' ---------- 10
4. भ्रष्टाचार- एक समस्या ---------- 12
5. धर्म, समाज तथा परंपराएँ--------- 15
6. मेरा भारत महान ---------- 16
7. कवि रहीम ---------- 17
8. आदिवासी समाज तथा हिन्दी साहित्य - 19
9. प्रसंग/व्यंगरचना (तीन बंदर)------ 22
10. जैतापुर परमाणू परियोजना - प्रकल्पपूर्व कार्य ---------- 24
11. नेल्सन मंडेला ---------- 27
12. ग्राहकों को सतर्क रहने की जरुरत -- 30
13. दोस्ती ---------- 31

भारत सरकार की राजभाषा नीति

अध्याय 1 - संघ की भाषा

अनुच्छेद 120. संसद में प्रयोग की जानेवाली भाषा- **(1)** भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिंदी मे या अंग्रेजी में किया जाएगा.

परंतु यथास्थिती राज्य सभा का सभापती या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है. अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

2) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष कि अवधी की समाप्ती के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो "या अग्रेजी में" शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो ।

अनुच्छेद 210 : विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा : 1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, कितु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा ।

परंतु यथास्थिति विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करनेवाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ती नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

2) जब तक राज्य का विधान-मंडल विधी द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ती के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो "या अंग्रेजी में" शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो ।

परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में. यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले "पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रख दिए गए हो।

परंतु यह और कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आनेवाले "पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस वर्ष" शब्द रख दिए गए हों।

अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा :

1) संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रुप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किा जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठिक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा ।

3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद् उक्त पंद्रह वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा

(क) अंग्रेजी भाषा का, या(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति---

1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपती नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

2) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को---

(क) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,

(ख) संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों,

(ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,

(घ) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जानेवाले अंकों के रूप,

(ड) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दुसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपतिद्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करे।

(3) खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिश करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

(4) एक समिती गठित की जाएगी जो तीस सद्स्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(5) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे ।

(6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेतन पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेतन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा।

अध्याय 2 - प्रादेशिक भाषाएं

अनुच्छेद 345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं -

अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधिद्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा ।

परंतु जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधिद्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

अनुच्छेद 346. एक राज्य और दुसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा :

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दुसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी :

परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते है कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा ।

अनुच्छेद 347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध--

यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

अध्याय 3 - उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा :

अनुच्छेद 348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा--

(1) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद विधिद्वारा अन्यथा

उपबंध न करे तब तक---

(क) उच्चतम् न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायलय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी.

(ख) (1) संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पूरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संधोनों के,

11) संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के, और

111) इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा :

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, या आदेश को लागू नहीं होगी ।

3) खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान-मंडलने उस विधान-मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राज्यपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

अनुच्छेद 349. भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया--

इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जानेवाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजुरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे संधोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजुरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समितिके प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चातही देगा, अन्यथा नहीं।

अध्याय 4-- विशेष निदेश

अनुच्छेद 350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जानेवाली भाषा--

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा ।

अनुच्छेद 350 क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं --

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्याक वर्गों के बालकों कों शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

अनुच्छेद 350 ख. भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी -

1) भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

2) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध मे ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे.

राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

अनुच्छेद 351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश -

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

■■■

ग्लोबल वार्मिंग से सावधान

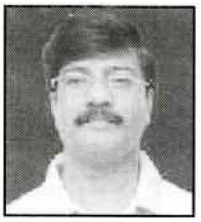

रवि दिवाकर गिरहे
बैंक ऑफ इंडिया

वर्तमान में सारी दुनिया को पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण की गंभीर समस्याओं ने घेर रखा है. अगर अतीत में झांककर देखे तो हमारी भारतीय संस्कृति सदियों से पर्यावरण एवं निसर्ग को अपना गुरु मानती आई है. साधु-संत, ऋषि--मुनि, देवी-देवता इन सभी ने सृष्टी के विकास का पूरा प्रयास किया है. हमारे वेद, पुराण आदी अनमोल ग्रंथ हमें पर्यावरण के विषय में काफी जानकारी प्रदान करते हैं. मानव का शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायू व आकाश इन पंचमहाभूतों से बना हैं, इसका ज्ञान भी हमें हमारी संस्कृति ने ही दिया है. फिर आज अचानक पर्यावरण के विनाश से हम भयभीत क्यों हो गए है। क्योंकि हम ही इस विनाश के जिम्मेदार हैं। हमारा स्वयं का अस्तित्व ही अब खतरे में है। हमने द्रौपदी की तरह सारे विश्व को ही दाँव पर लगा दिया है। पृथ्वी पर बढ़ता प्रदूषण, अति गर्मी से समंदर का बढ़ता जलस्तर, प्रदूषण से ओजोन परत को पडने वाले छेद, सूरज की अतिउष्ण हानिकारक किरणें, बदलते हुए मौसम, अकाल वर्षा तथा बढ़ते रोग, इसी के परिणाम हैं जो काफी चिंताजनक हैं।

'Destroying our environment means destroying ourselves'

सन 1750 से मानव अपने विभिन्न कार्यकलापों द्वारा मौसम को प्रभावित करता रहा है। शुरू में मौसम में आनेवाले बदलाव सूक्ष्म थे जिसकी तीव्रता कम थी। लेकिन गत दस वर्षों में मौसम के बदलाव काफी चिंताजनक हैं।

बदलते मौसम के अभ्यास हेतु 113 अंतर्देशीय वैज्ञानिकों का एक दल कार्यरत है। उनके निष्कर्षो के अनुसार पृथ्वी का तापमान 90 वर्षों में 5.8 अंशों से बढ़ा है। तापमान पर नियंत्रण रखना दिनोंदिन कठिन होने वाला है। पैरिस में आयोजित 'इंटरगवर्नमेंट पॅनेल ऑन क्लायमेंट चेंज समिती' (IPCC) की एक रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी का सर्वसाधारण तापमान इस शतक की समाप्ति तक 1.8 से 4 अंश सेल्सियस तक बढ़नेवाला है। साथ ही समुद्र का स्तर 28 से 43 सेंटीमीटर याने एक से देढ़ फुट बढेगा। ग्रीनपीस योजना के स्वेन टेस्के ने इशारा किया है कि वैश्विक पर्यावरण के ये बदलाव भविष्य में समुद्र का बढता स्तर, तूफान, बाढ, इससे होने वाली इन्सानी या वित्तहानी से हमे बचा नहीं सकेंगे। धीरे धीरे पृथ्वी के बर्फ के शिखर पिघलने लगेंगे, जिससे कुछ सालों तक नदियों में बाढ आएंगीं, तत्पश्चात नदियाँ सूखने लगेंगी। अर्थव्यवस्था एवं जीवन शैलीपर इसका विपरीत परिणाम होकर बडे-बडे शहर काल के गाल में समा जाएंगे, शहरवासी निर्वासित हो जाएंगे। भूख के साथ कॅन्सर, चर्मरोग आदी गंभीर रोग बढेंगे।

इन सारी परिस्थितीयों के लिए मानव 90% तथा भौगोलिक बदलाव 10% जिम्मेदार हैं। ग्रीन हाऊस गॅसेस निर्माण करने में मानव का सबसे बडा योगदान रहा है। IPCC के अध्यक्ष एवं नोबेल पुरस्कार विजेता श्री राजेंद्र पचौरी के अनुसार वातावरण में ग्रीन हाऊस गैसेस छोडने से ये सारी गंभीर समस्याएँ निर्मित हुई हैं।

अब यह मानव पर निर्भर है कि वह इससे कितनी

यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है? यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी सिंगार की क्या आवश्यकता है.

सीख लेता है तथा इस आपदा से पृथ्वी को कैसे बचाता है। इस रिपोर्ट को पढकर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि गत दस वर्षो से हो रही सभी नैसर्गिक दुर्घटनाओं का विचार एवम अध्ययन हम सभी को करनी चाहिऍं, तत्पश्चात ही हम ग्रीन हाऊस गैसेस के विषय में निर्णय लेने में सक्षम हो पायेंगे।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी संचालक अकिम स्टीनर का कहना है कि मानव ने खनिज तेलों का जो गैर जिम्मेदाराना उपयोग किया है उसी से तापमान में वृद्धि हुई है तथा वातावरण में बदलाव आए हैं। वे कहते है कि 2007 को जन्म लेनेवाला एक अफ्रिकन बालक जब पचास वर्ष का होगा तो वह अनेक गंभीर रोगों से ग्रसित रहेगा तथा विभिन्न प्रकार के अकालों का सामना करेगा। IPCC की रिपोर्ट से सभी देशों के राजनैतिक एवं वैज्ञानिक नेताओं की ऑखे निश्चित ही खुलनी चाहिएँ।

इससे यह स्पष्ट होता है कि इक्कीसवी सदी में ग्लोबल वार्मिंग और इससे जन्मे जलवायु परिवर्तन की सबसे बडी चिंता से इस समय दुनिया की वैज्ञानिक बिरादरी विचलित हैं। साथ ही इसके लिए कौन जिम्मेदार है इस बात के लिए भी वैज्ञानिक को खेमों में बांट दिया है। हाल ही में जलवायू परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय पैनल ने इसके लिए ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन का जिम्मेदार ठहराते हुए चेतावनी दी है कि आदमी को अब अपने औद्योगिक पापों की सजा भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए। वैज्ञानिकों का दूसरा खेमा ग्लोबल वॉर्मिंग को आदमी की करतूत मानने को तैयार नहीं। उनका मानना है कि मानव जनित प्रदूषण से निश्चित ही थोड़ी बहुत गर्मी पैदा हुई है लेकिन वैश्चिक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के पीछे प्रमुखतः बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले कॉस्मिक विकिरण के घटते-बढ़ते चक्र का हाथ है। डेनमार्क के नेशनल स्पेस सेंटर के मौसम विशेषज्ञ हेनरिक स्वैसमार्क अपनी एक पुस्तक में जलवायु परिवर्तन की वैकल्पिक अवधारणा प्रस्तुत करते हुए दावा करते हैं कि मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग वायुमंडल से टकराने वाली कॉस्मिक किरणों में कमी के कारण पैदा हुई है। ये किरणें वायुमंडल में मौजूद जल कणों को अपनी और आकर्षित करते हैं और हर जलकिरण अंततः संघनित होकर बादल का रूप लेते हैं। स्वैंसमार्क जलवायु परिवर्तन के लिए मानव गतिविधियों से पैदा होनेवाली कार्बन डाइऑक्साईड की भूमिका को पूरी तरह अस्वीकार तो नहीं करते लेकिन इसके लिए वे मानवजनित कारकों को पूरी तरह जिम्मेदार नहीं मानते। वे कहते है कि जलवायू परिवर्तन पर खतरे की घंटी बजाने वालों ने अपनी गणनाओं में कॉस्मिक विकिरण की घट-बढ से होने वाले तापमान परिवर्तन को शामिल नहीं किया। उनका कहना है कि बीते कुछ दशकों से कॉस्मिक किरणों में कमी का दौर चल रहा है, जिस कारण पृथ्वी के आसपास इनसे पैदा होने वाले बादल पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहे हैं। ये बादल सूर्य से पहुँचने वाली गर्मी के एक हिस्से को सोख लेते हैं ऑर धरती की सतह को ज्यादा गर्म नहीं होने देते। उनका मानना है कि लम्बे समय से यह माना जाता रहा है कि बादल जलवायु परिवर्तन से पैदा होते है। लेकिन हम देख रहे है कि अब बादलों के हाथ में जलवायु परिवर्तन की डोर है। धरती में मौजूद बर्फ की प्राचीन परतें जलवायु में बार-बार होने वाले परिवर्तनों के सबूत देती है। पिछले एक हजार वर्षो के बाद हाल के दशकों में सौर प्रक्रिया में जबरदस्त तेजी आई है। स्वैसमार्क का यह कहना भी गलत नहीं है कि मात्र मानव गतिविधियों को जलवायु परिवर्तन का दोषी

न मानते हुए कॉस्मिक किरणों के बढ़े प्रभाव को भी ग्लोबल वार्मिंग संबंधी हमारे विचारों में गंभीरता से शामिल किया जाना चाहिए।

कुछ भी हो उपरोक्त स्थिति के लिये निश्चित ही मानव का अविचार एवम् अविवेकी भूमिका निश्चित ही जिम्मेदार है। लेकिन अभी भी सकारात्मक विचार कर हम बढ़ते तापमान को रोक सकते हैं तथा पर्यावरण के असंतुलन को कुछ हद तक क्यों न हो रोक सकते हैं। 120 देशों के हवामान विशेषज्ञों एवं प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए इशारों के अनुसार दुनिया के सामने हवामान बचाने के लिए केवल आठ साल बाकी हैं। अगर 2015 तक विभिन्न देशों द्वारा हवा में छोडे जा रहे कार्बनडायऑक्साइड का प्रमाण कम नहीं हुआ तो लाखों मनुष्यों को अपनी जान से हाथ धोना पडेगा। नैसर्गिक संसाधानों को बचाना, पर्यायी मानवनिर्मित संसाधनों का उपयोग करना, पृथ्वी को वायू-प्रदूषण व कार्बनडायऑक्साईड से बचाना व ओझोन स्तर का बचाव करना, पृथ्वी का तापमान कम करना, वृक्षों को तेजी से बढ़ाना, जंगलों की रक्षा करना, ऐसी अनेक सुनियोजित योजनाओं से हम इस सुंदर निसर्ग की रक्षा कर सकते हैं। हमें केवल अपना स्वार्थ छोडकर परमार्थ तथा भावी पिढ़ी का विचार करने की आवश्यकता है। हम अपने परिवार के भविष्य की चिंता करते है, उनके लिए योजनाएँ भी बनाते है। अगर हमारे भविष्य का अस्तित्व ही खतरे में हो तो इन योजनाओं का क्या उपयोग? आइये संकल्प करें कि इस सुंदर प्रकृति की हम रक्षा करेंगे, ध्यान रहे यही प्रकृति हमारी रक्षा करनेवाली है।

उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण के इस युग में हमारे राजनैतिक तथा आर्थिक नेतृत्व को अब यह निश्चय करना होगा की हमें पर्यावरण तथा निसर्ग की लय को साथ में लेकर ही चलना है। अन्यथा पृथ्वी का बढता तापमान, आजोन परत में होने वाले छेद, मानव जीवन के लिए अनेक मुश्किलें पैदा कर सकता है। शायद हम महात्मा गांदी, थोरो, टॉयस्टॉय जैसे महापुरुषों की चेतावनी को भूल गए जिन्होंने हमेशा पर्यावरण को बचाने की वकालता कि थी।

छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे ।
फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव ।।

'अर्थात स्वयं धूप में तपते हुए भी दुसरों को छाया देने वाले तथा अपना सर्वस्व याने अपने फल भी दूसरों को समर्पित करने वाले महान तो होते ही हैं, वे सत्पुरुषों की श्रेणी में भी आते हैं।'

राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी हमारे देश की एकता में सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी।

वह जितनी बढ़ेगी देश को उतना ही लाभ होगा ।

- पं. जवाहरलाल नेहरू

'मानवता'

अम्बरीष तिवारी
बैंक ऑफ इंडिया

शाम का वक्त था, सूर्य धीरे धीरे अपनी किरणों को समेट रहा था। घने जंगल में कटीले रास्ते की एक छोटी सी पगड़डी पर एक असहाय और निर्बल प्यास के कारण जिसका गला सूख रहा था। पानी की तलाश में वह अपने कदम तेजी से आगे को बढ़ा रहा था। परन्तु उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहें थे।

मैं अपने परिवार के साथ अपनी गाडी की आगें की सीट पर बैठा था। अन्धेरा होने के कारण हम भी जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते थे। तभी अचानक धम्म से गिरने की आवाज सुनाई दी।

किसी व्यक्ति की परछाई दिखाई दी जो झाडियों के बीच गिरी थी, अन्धेरे के कारण कुछ साफ दिखाई नही दे रहा था। मैने ड्राइवर से गाडी रोकने के लिए कहाँ, गाड़ी से उतरकर उस ओर गया जिस तरफ से आवाज आयी थी। झाड़ीयों मे एक बूढा व्यक्ति पीड़ा से कराह रहा था, मैने ड्राइवर की मद्द से उस बूढे व्यक्ति को उठाया और गाड़ी की पीछे की सीट पर बैठाया और पानी पिलाया । कमजोरी और चोट लगने के कारण कुछ भी बताने में असमर्थ था। रात कों जंगल में उसको छोडना ठीक नही लगा।

मैंने उस बूढ़े व्यक्ति को अपने घर लाकर जिस जगह पर चोट लगी थी दवाई और पट्टी इत्यादी करके उसे ड्राइवर के कमरे में सुला दिया।

सुबह जल्दी उठकर मैंने उस बूढे व्यक्ति के पास जाकर उनसे पूछा बाबा अब आपकी तबियत कैसी है। आप रात के वक्त जंगल में क्या कर रहे थे।

उस बूढे व्यक्ति ने बताया कि बेटा मेरे चार बेटे हैं। भगवान की कृपा से किसी चीज की कमी नही है। मैं बूढा हो चला हूँ, मेरी पत्नी भी मेरा साथ छोडकर भगवान कों प्यारी हो गई है। मेरे बेटे और बहुओं की नजर मेरी जायदाद पर है और उन्होंने उसे हडपने के चक्कर में ऐसा किया।

गंगा स्नान का बहाना बनाकर वे मुझे यहां लाया और चालाकी से यहॉ छोड़कर भाग गये। रात होने के कारण मुझे रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ खाना भी नही खाया था, प्यास भी लग रही थी।

शायद उन्होंने यही सोचा होगा कि रात के वक्त जगंल में कोई जानवर खा जायेगा और वो लोग आराम से रहेंगे। परन्तु अब मैने सोच लिया है कि उनको सबक सिखाना होगा। मुझे घर जाने के लिए कुछ रुपये चाहिए। जो मैं तुम्हे शीघ्र ही लौटा दूंगा।

मैंने उनको खाना खिलाकर अपने पापा के नये कपडे उनको पहनने के लिए दिये। कुछ रुपये देकर गाडी मे बैठा दिया वो अपने घर चले गये मै रास्ते में यही सोचती रही कि क्या कोई दौलत के लिए इतना गिर सकता है कि अपने माता-पिता के साथ ऐसा व्यवहार करेगा।

कुछ समय पश्चात सुबह सुबर मेरे घर के बाहर

गाडी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी मैने दरवाजा खोलकर देखा। वही बूढ़े बाबा गाड़ीसे उतरकर मेरे पास आये । बड़े प्यार से उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और मेरे दो रुपये लौटाए और कहा बेटा उस दिन तुमने मुझे बचा लिया। मेरे बेटे तो मुझे मरने के लिए जंगल में छोड आये थे।

मैने उन चारों बेटो को उनका हिस्सा देकर घर से बाहर कर दिया। उस दिन की उनको अच्छी सजा दी है। अब उन्हे पता चलेगा कि बूढ़ापे में अपने माता-पिता की सेवा कर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए।

हम बच्चों को चाहिए अपने बूर्जगों का कभी अपमान नही करना चाहिए जो आज जवान है वो कल बूढा होगा। जब उनके बच्चे उनके साथ अच्छा व्यवहार नही करेगें तब उस बात का एहसास होगा कि कभी हमने भी अपने मां बाप के साथ अच्छा व्यवहार नही किया।

इसलिए हमें समय रहते इस बात की अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हमें अपने बूर्जगों का सम्मान करना चाहिए की अपमान।

'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाय''

■■■

स्वागत

श्री. एस. आर. भावसार
सहायक महाप्रबंधक
बैंक ऑफ इंडिया
रत्नागिरी अंचल

श्री. भावसार जी ने जुलाई 1980 को बैंकिंग क्षेत्र में पदार्पण किया. फरवरी 1990 को अधिकारी के रुप में पदोन्नति के बाद नागपुर, पुणे, कोल्हापुर, अंचलों में तथा प्रधान कार्यालय और विदेश में सान फ्रान्सिस्को आदि जगह कार्य किया है, श्री. भावसार जी को ऋण तथा आस्तियां वसूली विभाग का, शाखा स्तर पर प्रबंधक के कार्य का बड़ा अनुभव है और फरवरी 2014 से सहायक महाप्रबंधक का कार्यभार संभाला है.

भ्रष्टाचार- एक समस्या

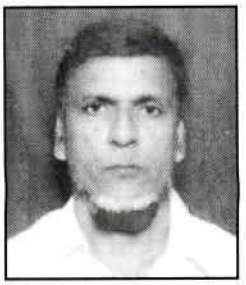

श्री. अजिज लतिफ पठाण
बैंक ऑफ इंडिया

आज सारी दुनिया जिस मुल्क की तरक्की को आदर और सम्मान के साथ देख रही है, वह भारत है. लोग कहते हैं कि हिंदुस्थान में सब कुछ मिलता है, जी हां हमारे पास सब कुछ है।

लेकिन हमें यह कहते हुए शर्म भी आती है, और अफसोस भी होता है कि हमारे पास ईमानदारी नही है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भ्रष्टाचार कितनी गहराई तक उतर चुका है और किस तरह से बेईमानी एक राष्ट्रीय मजबूरी बनकर हमारी नसों में समा चुकी जी हां, हमारे यहां बेईमानी भ्रष्टाचार और खुली लूट का यही आलम हैं। इससे पहले कि कोई दूसरा लूट ले हम खुद ही खुद को लूट रहे हैं।

जुर्म वारदात नाइन्साफी, बेईमानी और भ्रष्टाचार का सैकडों साल पुराना किस्सा नई पोशाक पहनकर एकबार फिर हमारे दिलों पर दस्तक दे रहा है। रंगो में लहू बन कर उतर चुका भ्रष्टाचार का कैंसर आखीरी ऑपरेशन की मांग कर रहा है। अवाम सियासत के बीज बोकर हुकूमत की रोटीयां सेंकनेवाले भ्रष्ट नेताओं के मुस्तकबिल का फैसला करना चाहती है. ये गुस्सा एक मिसाल है कि हजारों मोमबत्तियां जब तक मकसद के लिए एक साथ जल उठती हैं तो हिंदुस्तान का हिंदुस्तानियत पर यकीन और बढ़ जाता है।

बेईमान सियासत के इस न खत्म होने वाले दंगल में अकीदत और ईमानदारी दोनों थक कर चूर हो चुके हैं। मगर फिर भी बेईमान नेताओं, मंत्रियों, अफसरों और बाबुओं की बेशर्मी को देखते हुए लड़ने पर मजबूर हैं. बेईमान और शातिर सियासत दानों की नापाक चालें हमें चाहे जितना जखमी कर जाए हमारे मुल्क कें 'अन्ना' हजारों के आगे दम तोड देती हैं।

मंहगाई, गरीबी, भूख और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों से रोजाना और लगातार जूझती देश की अवाम के सामने भ्रष्टाचार इस वक्त सबसे बडा मुद्दा और सबसे खतरनाक बीमारी है। अगर इस बीमारी से हम पार पा गए तो यकीन मानिए सोने की चिड़ियावाला वही सुनहरा हिंदुस्तान एक बार फिर हम - की नजरों के सामने होगा. पर क्या ऐसा हो पाएगा? क्या आप ऐसा कर पाएगें? जी हां हम आप सें पूछ रहे हैं। क्योकि सिर्फ क्रांति की मशाले जला कर, नारे लगाकर, आमरण अनशन पर बैठ कर या सरकार को झुका कर आप भ्रष्टाचार और बेईमानी को बढ़ावा देने में आप भी कम गुनहगार नहीं हैं।

मंदिर में दर्शन के लिए, स्कूल अस्पताल में एडमिशन के लिए, ट्रेन में रिजर्वेशन के लिए, राशनकार्ड, लाइसेंस, पासपोर्ट के लिए, नौकरी के लिए, रेड लाइट पर चालान से बचने कें लिए, मुकदमा जीतने और हारने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, कांट्रैक्ट लेने के लिए, यहां तक की सांस लेने के लिए भी आप ही तो रिश्वत देते हैं। अरे और तो और अपने बच्चों तक को आप ही तो रिश्वत लेना और देना सिखाते हैं। इम्तेहान में पास हुए तो घड़ी नही तो छड़ी।

अब आप ही बताए की क्या गुनहगार सिर्फ नेता अफसर और बाबू है? आप एक बार ठान कर तो

देखिए कि आज के बाद किसी को रिश्वत नहीं देंगें। फिर देखिए ये भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी कैसे खत्म होते हैं।

आँकडे कहते हैं की 2009 को भारत में अपने-अपने काम निकलवाने के लिए 54 फिसदी हिंदुस्तानियों ने रिश्वत दी. आंकडे कहते हैं कि एशियाई प्रशांत के 16 देशों में भारत की गणना चौथे सबसे भ्रष्ट देशों में होता है। आंकडे कहते हैं कि कुल 169 देशों में भ्रष्टाचार के मामले में हम 84 वे नंबर पर हैं।

स्विस बैंक मे भारतीयों को जितना ब्लैक मनी जमा है, अगर वह सारा पैसा वापस आ जाए तो देश को बजट में 30 साल तक कोई टैक्स नहीं लगाना पडेगा. आम आदमी को इनकम टैक्स नही देना होगा और किसी भी चीज पर कस्टम या सेल टॅक्स नही लगेगा।

सरकार सभी गावों को सडकों से जोडना चाहती है। इसके लिए 40 लाख करोड रुपये की जरुरत है। अगर स्विस बैंक से ब्लॅक मनी वापस आ गया तो हर गांवतक चार लेन की सड़क जाएगी।

जितना धन स्विस बैंक में भारतीयों का है। उसे उसका आधा भी मिल जाए तो करीब 40 करोड नई नौकरियां पैदा की जा सकती है। हर हिंदुस्तानी को 2000 रुपये मुफ्त दिए जा सकते है। और यह सिलसिला 30 साल तक जारी रह सकता हैं यानी देश से गरीबी पूरी तरह से दूर हो सकती हैं। पर ऐसा हो इसके लिए आपको बदलना जरुरी है।

■■■

उम्र

सूरज निकलने से शुरू होता है दिनक्रम
चाय के साथ अखबार
दिल को अच्छी लगी ऐसी कोई बात नहीं।
बुरी खबर बार बार
बच्चों को कैसे बताये बेटा दररोज पेपर पढता जा।
आपका ग्यान अपडेट कर-
दुनिया के साथ चलता जा,
क्योंकि,
पेपर के हर पन्ने पर - खून, डकैती, बलात्कार,
आज इसको फसाया, कल उसको मारा,
सभी तरफ अत्याचार,
बच्चा किसी शब्द का अर्थ पूछता है।
शरम से गर्दन झुक जाती है।
क्या बताये हम उसको-
दुनिया कैसी होती है।
कोई किसी का भाई नहीं।
कोई किसी का बाप नहीं।
न है कोई किसी की बहना।
दुनिया चाहे कुछ भी कर ले,
बस चूप ही तो है रहना।
आज दिल्ली, कल मुंबई- उसके बाद पुना
आज निर्भया, कल जेसिका
किसकिस के लिए रोना?
नराधम तो चाहे कोई भी हो।
पलभर में करणी होती है।
दो साल की लडकी, पैतालीस की औरत
साठ साल की बुढ़ीया भी चलती है।
यहाँ तो न्याय नहीं मिलता।
अल्पवयीन करके छुट्टी होती है।
नारी तो सिर्फ नारी है।
उसकी कोई उम्र नहीं होती है।

- संकलन
श्रीमती प्रज्ञा रविंद्र बागवे
डाक सहायक, चिपलूण डाक कार्यालय

फूलों की सुगंध केवल वायू की दिशा में फैलती है. लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है.

अशोक चंदर शेट्ये
बीएसएनएल, रत्नागिरी

प्यार

पत्नी जब मैके चली जाती है और फिर जब पति की याद आती हैं,
तो कैसे रोमँटिक एसएमएस भेजती है देखिए।
मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूँढ लेना;
और हाँ, आटे को अच्छी तरह गुँथ लेना!
मिल जाए प्यार अगर प्यार तो खोना नही;
प्याज काटते वक्त बिलकुल रोना नहीं!
मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है;
थोड़ी देर और पकाओ आलू अभी कच्चा है।
मिलकर फिर खुशियों को बाँटना है;
टमाटर जरा बारीक ही काँटना है।
लोग हमारी मोहब्बत से जल ना जाए;
चावल टाईम पे देख लेना कहीं जल ना जाए।
कैसी लगी हमारी गज़ल बता देना;
नमक कम लगे तो और मिला लेना।

क्यूं रो रही हो?

जब बंटी घर पहुँचा तो उसकी बीवी बबली रो रही थी

बंटी : डार्लिंग! क्यों रो रही हो?

बबली : आपकी माँ ने मेरा अपमान किया है।

बंटी : अरे! ऐसा कैसे हो सकता है? माँ तो कब से गाँववाले मकान में रह रही है।

बबली : आज सुबह ही चिठ्ठी तुम्हारे नाम आयी तो मैं इसे पढ़ने के लिए काफी उत्सुक हो गयी और चिठ्ठी के अंत में लिखा था- डिअर बबली, जब तुम पढ़कर इस चिठ्ठी को खत्म कर दो तो इसे मेरे बेटे को देना मत भूलना ।

क्यूं मारा?

पती पेपर पढ़ रहा था, तब उसकी बीवी ने उसके सिरपर जोर से पेन मारा!
''यह किस लिए मारा?'' पती ने पूछा, बीवी ने जवाब दिया, ''आज तुम्हारी पँट की जेब से एक कागज का टुकडा मिला उस पर 'जिमी' लिखा हुआ था इसलिए''।
अरे! पिछले हप्ते में रेस कोर्स गया था और जिस घोड़ीपर मैने पैसे लगाए थे उसका नाम 'जिमी' था, पती ने सफाई दी।
उसकी पत्नी ने माफी मांगी और वह अपना काम करने रसोई के अंदर चली गई।
तीन दिन बाद पती घर में टी.वी. देख रहा था, जब उसकी बीवी ने एक बड़े पेन से उसके सिर पर इतना मारा की वह बेहोश ही हो गया।
जब पती को होश आया उसने पूछा, अब यह किस लिए मारा?
''आज दिन में तुम्हारी घोड़ी का फोन आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, इसलिए'' उसकी बीवी ने जवाब दिया।

धर्म, समाज तथा परंपराएँ

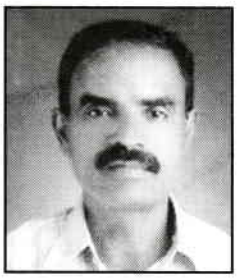

अशोक चंदर शेट्ये
कनिष्ठ दूरसंचार आधिकारी,
बीएसएनएल, रत्नागिरी

धर्म बड़ा है या जाति? अगर धर्म बड़ा है तो जातिगत आधार पर अलग-अलग खड़ा होकर अपने धर्म को कमजोर क्यों करते हैं, इस तोड़नेवाली व्यवस्था को छोड़कर जोड़नेवाली व्यवस्था को क्यों नहीं पुनःजीवित करते।

आप योग्यता आधारित समाज (जो हमारी पुरानी वैदिक व्यवस्था थी) को पुनः क्यों नहीं स्वीकार करते जो ज्यादा प्रेमपूर्ण व्यवस्था थी। आज हम आवैदिक व्यवस्था को स्वीकार किए है। व्यवस्था परिवर्तन उत्तर वैदिक की आवश्यकता थी, तो क्या आज इस व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

दहेज बूरा है सभी मानते हैं। फिर इसे खत्म करने की सामाजिक पहल की जाए तो आप साथ देंगे। आप कौन सा तरीका दे सकते है समाज को दहेज मुक्ती का।

हमारा सुझाव है शादी में भोज व्यवस्था खत्म की जाए क्योंकि भोज, गहना यही सब दहेज को प्रासंगिक बनाने लगते है और दहेज फिर कन्या भ्रूण हत्या का कारण बनता है। अगर समाज या दोनो पक्ष के मेहमानों के भोज अनिवार्य प्रतीत हो तो भोज हो परंतु दोनों पक्ष के मेहमान ही इस खर्च को उठाए । समाज में इस भोज व्यवस्था को खत्म करने से एतराज हो वह अपनी संपत्ती से इस खर्च को पूरा करें या समाज इनकी इच्छानुसार उनकी संपत्ती को बेचकर उन महाशय के पसंदानुसार समाज के बच्चियों की शादी का उत्सव करें।

विवाह में सिर्फ नजदीकी रिश्तेदार होते हो, इससे भी शादी का खर्च कम होता । शादी निबंधक कोर्ट में या समाज द्वारा निश्चित संस्था से ही हो ताकि भविष्य में समस्या न हो। गहने का रिवाज बिलकुल खत्म किया जाए। समाज दहेज एंव गहना इन दोनों मुद्दों पर सामाजिक बहिष्कार करें।

हम मानते है कि सम-योग लड़का-लड़की चाहे वे किसी भी जाति धर्म से हों, शादी की इजाजत देनी चाहिए ताकि ज्यादा विकल्प होने से दहेज प्रथा एंव इसकी वजह से होनेवाली कन्या भ्रूण हत्या की आवश्यकता ही न हो। आप क्या कहते है।

क्या स्वजाति हमेंशा मददगार होते है और दूसरे जातिवाले दुश्मन आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या कहता है। व्यक्तिगत रुप से आप किसी से पीड़ित है। आप किस प्रकार अपनी जाति को दूसरे से श्रेष्ठ मानते है।

■■■

शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है. एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पता है. शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है.

मेरा भारत महान

श्री. पी. एल. सावंत,
भारत संचार निगम,
रत्नागिरी

मेरा दिल चाहता था की मैं दिल्ली जाकर संसद भवन देखूँ,
देश चलानेवाले लोगों से मिलूँ,
इसलिए एक दिन मैं संसद भवन जा पहुँचा,
वहाँ जाने के बाद पता चला की 'पार्लमेंट' बंद है।
सभी नेता लोग विदेश गये हैं।
मैने सोचा, कोई बात नहीं, कामकाज तो वैसे भी नहीं होता,
और नेताओं से क्या मिलना, संसद भवन ही देख लेते हैं।
दरोगाह मुझे दिखाने लगा, पहले बाहर से...
मैने दिवारों पर हाथ फिराते हुए कहा, ''ये हमारी शान है''।
आगे दिखाते हुए वो बोला ये आतंकियों के गोलीयों के निशान हैं।
मेरा सिर झुक गया,
वो आगे दिखाने लगा, कुछ-कुछ कहने लगा।
मै चुपचाप था, मन दुःखी था। उसने दरवाजा खोला और धीरे से बोला
आप भाग्यशाली है, मैने प्रश्नार्थक देखा-
वो बोला, इतनी शांती यहाँ कभी नही होती।
मुझे टी.वी. पर देखा हुआ दृष्य याद आया।
वो, हंगामा, एक दूसरे के कपडे फाड़ना, फिर से मन व्यथित हुआ।
फिर वो कहने लगा संसद के पवित्र गौरवशाली परंपरा के बारें में,
संसद का प्रथम दिवस, प्रथम सत्र और वो सब लोग, जिन्होंने
इस मानव मंदिर को श्रेष्ठता दी।
मेरे मन में विचार आया ''कहाँ गये वो लोग''?
वो कुछ कहता रहा, दिखाता रहा, लेकिन मेरा मन खो गया था।
फिर उसने दिखाये कुछ अंदर के निशान,
जो उन्ही लोगों के हंगामे की वजह से हुए थे,
जिन्होंने इस मंदिर के पवित्रता को संभालना है।
उस बाहर के निशानों से ये अंदर के निशान गहरे थें।
मुझे वहाँ घुटनसी
महसूस हुई, इसलिए मैं बाहर निकला।
बाहर महात्मा बैठे थे। मैने उनसे पूछा, ये क्या हो रहा है?
वो मौन रहे और हाथ से इशारा किया।
मैने उस ओर देखा, वहाँ उनके तीन बंदर बैठे थे।
अब मै मौन रहा और आगे चला।
वहाँ अम्बेडकर खड़े थे। एक हाथ में संविधान और एक हाथ उपर किए हुए- मुझे आश्चर्य हुआ।
मैने अपील भी नहीं किया था और उन्होंने आऊट दिया था।
अगर कुछ पूछना था तो ये दो ही थे - गांधी और अम्बेडकर
उन्हें चुप देखकर मैं बाहर की तरफ निकला।
बाहर के मुख्य द्वार पर आया तो एक छोटा बच्चा मुझे सेल्यूट मारने लगा।
मुझे खुशी हुयी, लेकीन दुसरे ही पल बच्चा बोला,
अंकल बाजू हटो। मैने हटकर देखा तो बच्चा तिरंगे को सलामी दे रहा था।
मैं फिर खुश हुआ, तिरंगे की ओर देखा और मन फिर झूम उठा।
इतना सब कुछ सहकार भी तिरंगा गर्व से लहरा रहा था।
मेरे मुहँ से सहज ही शब्द निकले,
''मेरा भारत महान''।

कवि रहीम

प्रा. शिल्पा गोनबरे, रत्नागिरी
सहा. प्राध्यापिका

रहीम का जन्म सन् 1556 में सम्राट अकबर के संरक्षक एवं परमविश्वासपात्र बैरमखाँ के घर लाहोर में हुआ था। जब रहीम चार वर्ष के थे तब पिता के दुश्मन ने पुरानी शत्रुता लेने के लिए उनके पिता की मृत्यु कर दी थी तब अकबर की देखरेख में रहीम ने गहन विद्याध्ययन किया और उन्हें शाही खानदान के अनुरुप मिर्जाखाँ का किताब भी दे दिया। वे तुर्की, अरबी, फारसी, उर्दू, हिन्दी और संस्कृत आदि अनेक भाषाओं के विद्वान भी बन गए थे। काव्यरचना की शक्ती तो रहीम में प्रकृतिप्रदत्त ही थी, इसके लिए किसी शास्त्र अथवा शिक्षक का आश्रय नहीं लेना पड़ा था। रहीम का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे जितने दूरदर्शी थे, उतने ही नीतिकुशल थे। रहीम दीन-दुखियों को तथा अन्य कवियों का यथायोग्य आश्रय एवं उसकी रचनाओं का समुचित आदर करनेवाले थे। अपनी इस उदारता में वे अद्वितीय थे, उनके इस गुण की विश्वभर में चर्चा थी और आज भी लोग उनकी उदारता के बारे में बताते हैं। अपने समय में रहीम अपनी दानशीलता के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि अनेक समकालीन तथा परवर्ती कवियों ने इनकी दानवीरता के अनेक मार्मिक वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। उन्हें कलियुग का कर्ण बताते कहा जाता था कि कवि गंग के एक छप्पय पर प्रसन्न होकर उन्हें छत्तीस लाख रुपये दे दिये थे। ऐसी काव्यप्रतिभा एवं विनम्रता का अपूर्व संयोग बिरले कवियों में ही मिलता हैं। इनकी दानशीलता तथा निरहंकारिता का वर्णन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने शब्दों में इसप्रकार किया है-

"रहीम की दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। कीर्ति की कामना से उसका कोई संपर्क न था।"

कवि रहिम ने अपने काव्य से समाजप्रबोधन का कार्य किया था, अपने दोहों से उन्होंने प्रकृति की ऐसी दृश्यों, घटनाओं का संबंध बताया है कि उसपर विश्वास करना आज महत्त्वपूर्ण बन गया हैं। व्यक्ति में गुण, दुर्गुण होते ही है, उनसे मुक्ति पाने की क्षमता व्यक्ति में होनी चाहिए और अपने दोहों के माध्यम से उन्होंने यही बातों पर प्रभाव डाला है-

"कदली, सीप, भुजंग-मुख, स्वाति एक गुण तीन।
जैसी संगति बैठिये, तै सोई पुल दीन।।"

जो व्यक्ति जैसी संगति में बैठेगा, उसे वैसा ही फल मिलेगा। इसी भाव को व्यक्त करते हुए रहीम स्वाति नक्षत्र में बादलो से गिरनेवाले जल की बूँद का उदाहरण देते है। बादलों से गिरनेवाली जल की बूँद केवल एक होती है, लेकिन उसके गिरने के स्थान के कारण उसके तीन रुप हो जाते है। यदि वह केले के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, यदि वह सीपी में गिरती है तो मोती बन जाती है और यदि वह सांप के मुख में गिर जाती है तो विष बनती है। इसी उदाहरणों से कवि रहिम बताते है कि कोई भी व्यक्ति जैसी संगति में बैठता है, वह संगति उसे वैसा ही फल देती है। मनुष्यों को उन्होंने रंगबदलू गिरगिट उपमा दी है। अपने दोहोंद्वारा सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिती भी अत्यंत सहजता से सीधे-साधे ढंग में वे बता देते है, उसका संबंध मानवसम्मान से जोड़ देते हुए वे

बताते है-

''मान सहित विष खायके, संबु भए जगदीस।
बिना मान अमृत पिये, राहु कटायो सीस।।''

सम्मान की महत्ता का वर्णन करते हुए वे बताते है कि आदर सहित विष खाकर शंकरजी जगत् के स्वामी बन गये। इसके विपरीत बिना सम्मान के अमृत पान करके भी राहु ने अपना सिर कटवा लिया। राहू राक्षस से धोखाधडी से अमृत का पान करने पर विष्णुजी ने क्रोधित होकर अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। अमृत पी लेने के कारण वह मरा तो नहीं, लेकीन दो भागों में बँट गया, सिर और धड़। उसका सिर भाग राहु कहलाया गया और धड़ भाग केतु। तभी से राहु-केतू, सूर्य-चंद्रमा से अपना बैर मानकर जब भी अवसर मिले, इन्हें निगल जाते और इसी कारण सूर्य तथा चंद्रमा ग्रहण होते है।

मनुष्य के लिए उसकी समाज में प्रतिष्ठा महत्त्वपूर्ण होती है। जैसे मोती के लिए चमक की, आटे के लिए जल की जरुरत होती है। जिसप्रकार चमक के बिना मोती और जल के बिना आटे का होना व्यर्थ है, उसी प्रकार मनुष्य का अस्तित्व भी बिना प्रतिष्ठा के व्यर्थ है। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए कवि उसी उदाहरण को दोहे के माध्यम से प्रस्तुत करते है

''रहिम पानी राखिए, बिनु पानी सब सून।।
पानी कए न उबरै, मोती मानूस चून।।''

उपसंहार-

रहीम में अपार धार्मिक सहिष्णुता थी, इसिलिए वे सभी धर्मों का यथोचित सम्मान करते थे। सम्राट अकबर ने जो सर्वधर्मसमभाव का प्रचार किया था, रहीम उसकी साक्षात परिणति थे। जिसप्रकार अकबर का झुकाव हिंदु-मुस्लिम धर्मों की एकता की ओर था, उसी प्रकार रहीम भी हिंदू धर्म के प्रति अपेक्षाकृत अधिक आकृष्ट था। इसके काव्यों में हिंदू कथाओं के उपमान तथा प्रतीक भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और हिंदू धर्मानुसार कृष्णभक्ति का अनुराग भी मिलता है। रहीम इस भक्तिभावना से ओतप्रोत थे। जहाँ एक ओर सूर साहित्य जैसी श्रीकृष्ण के प्रति आसक्ति, निष्ठा, ललक और आकुलता रहीम के काव्य में प्राप्त होती है, वहीं रीतिकालिन भक्त कवियों की चमत्कारिक भावाभिव्यंजना के भी दर्शन होते है। रहीम अपनी अपार आस्था को संजोकर श्रीकृष्ण के सम्मुख नतमस्तक होकर उनकी कृपा की याचना करते है और वहीं तो है दास्य-भाव की पराकाष्ठा।

रहीम के दोहों में दुख-दर्द और संकट के समय उनका पथ-प्रदर्शन करने की अद्‌भूत क्षमता है। रहीम के दोहों में गहरा जीवन अनुभव व्यक्त हुआ है। नीतिविषयक अनेक प्रेरणाएँ, साथ ही ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास भी पाया जाता है। इसीलिए संसारी व्यक्ति की कृपा के बदले ईश्वर की कृपा पर विश्वास रखना अधिक श्रेयस्कर मानते है।

रहीम का व्यक्तित्व सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न था। वे एकसाथ ही सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दान-वीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद्, कलापारखी कवि एवं विद्धान थे। जन्मजात मुसलमान होते हुए भी हिंदुत्व के प्रति अपार निष्ठा उन्हें भारतीय श्रद्धा का पात्र बना देती है। विरोधी गुणों का बड़ा सुंदर संतुलन, सामंजस्य उनमें था और वे कवियों के कल्पतरु, याचकों के कर्ण और गुणिजनों के भोज थे।

संदर्भ-

1. मध्यकालीन कालजयी कवी- प्रा. राजन गोरे
2. काव्य संरगम- सन्तोष कुमार चतुर्वेदी

■■■

आदिवासी समाज तथा हिन्दी साहित्य

- डॉ. चित्रा मिलिंद गोस्वामी, रत्नागिरी

प्रस्तावना-

देश की प्रगति वहाँ रहनेवाले नागरिकों के रहन-सहन, सुख-सुविधाओं पर तथा सामाजिक सरोकारों पर निर्भर है। समाज की प्रगति से मतलब सभी वर्ग एवं समुदायों के लोगों में एकता का सूत्र पिरोना। समय-समय पर शासक वर्ग इस पुरी अवधारणा को अस्वीकार करता है। वह अपने राज्य के नागरीकों का दमन करता है और इसी वजह से समस्याएँ निर्माण होती है।

आदिवासी समाज इसी तरह प्रताड़ना का शिकार हुआ है। उसके साथ शासकों ने मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं किया। रहन-सहन के स्तर से लेकर भाषा, संस्कृति सहित अनेक स्तरों पर वे मुख्य धारा से अलग हो गए। लेकिन वे कोई दुसरे ग्रह प्राणी नही है। विभिन्नता के बावजूद समाज की संस्कृति बचाए हुए है। इनके सर्व त्योहार देवताओं तक प्रकृति शामील है।

आदिवासी समाज की स्थिती :

अंग्रेजों ने आदिवासी समुदायों के साथ बदतर व्यवहार किया। उन्हें उत्पीडन और शोषण से गुजरना पडा क्योंकी व्यापारी और दारू के ठेकेदार वहाँ आ गए और उनकी सादगी तथा अज्ञान का फायदा उठाते रहे, उन्हें ठगते रहे। उनके खेत सिकुड गये और वे गरीबी के मुँह में गिर गए। ब्रिटीश हुकुमत भारत में पुरी तरह स्थापित हो गई और 1857 के हारे हुए स्वातंत्र्य संग्राम के निशाने पर आदिवासी ही रहे। आदिवासीयों के जीवन में अंग्रेज सरकार का हस्तक्षेप मतलब प्राकृतिक संपदा पर कब्जा करना था। आदिवासी समाज ने इसका विरोध किया तो कानून बनाकर जर, जंगल और जमीन पर उनका अधिकार सीमित किया गया। आदिवासियों को अपराधी सिद्ध करने के लिए अंग्रेजों ने 'क्रिमिनल ट्रायबल ॲक्ट' बनाया।

अंग्रेजी सरकार ने प्राकृतिक संसाधनों पर से आदिवासी समाज को खदेडना चाहा। आदिवासियों को सामान्य सभा में शामिल न करने के पिछे उनका स्वार्थ था। मुख्य समाज से उन्हें अलग बताया गया। प्राकृतिक संसाधानों पर राज्य का अधिकार मान गया। आदिवासी और सेना के बीच संघर्ष हुआ परंतु इसमें आदिवासी लूटे गये।

आदिवासी हमेंशा स्वतंत्र समाज के रुप में रहे है। उन्होंने अपने इलाके को स्वतंत्र राज्य समझा, अपनी प्रथा और मान्यताओं को स्वच्छंद भाव से स्वीकारा, बाहरी हस्तक्षेप नहीं होने दिया। आधुनिक पुँजीवादी राज्य ने उनकी स्वतंत्रता को छिनकर उन्हें शत्रू का रुप दिया।

आदिवासियों के प्रमाण-

हिंदू धर्मग्रंथों में आदिवासी समाज के प्रमाण मिलते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित 'रामचरितमानस' में जंगल में रहनेवाले इन लोगों को राक्षस कहा गया। महाभारत में बर्बरीक, घटोत्कच राक्षसों का उल्लेख मिलता है। वास्तविक इतिहास में इस छबि को बदला नहीं गया। फर्क इतना है कि उन्हें आरक्षण का लाभ

मिला, जिससे आदिवासी समाज के कुछ पढ़े-लिखे लोगों को सरकारी नौकरीयाँ मिली।

आदिवासियों में विभिन्नता-

आदिवासी समाज में काफी विभिन्नता दिखाई देती है। यह भौगोलिक स्तर के साथ रहन-सहन संस्कृति आदि में भी है। आदिवासी समाज उत्तरपूर्व सीमांत नागा, मिझो, खासी, मुंडा, संथाल, गौंड, उरांव, भिल्ल और झारखंड में रहनेवाले जातियों के बीच बडा फर्क रहा है। उनके इतिहास में भी और वर्तमान में भी फर्क है। नागा, मिझो ये जातियाँ शुरु से ही स्वतंत्र और स्वायत्त रही है। शेष भारतीय आदिवासी समाज किसी न किसी बात से घिरे रहे हैं।

आदिवासियों का दुष्प्रचार-

आदिवासी समाज के बारे में बहुत से मिथ प्रचलित हैं। जैसे वे बर्बर होते हैं, वे कपडे नहीं पहनते, वे किसी भी व्यक्ति को हँसिया या दराती से काट सकते हैं। आज की तारीख में आदिवासी शब्द का उच्चारण करने से ही जिस समाज की तस्वीर उभरती है, वह काफी डरावनी है। यदि इस प्रचार को दृश्य प्रचार मान लिया जाए तो जरुरी है दशकों का अध्ययन करना। अंग्रेजी शासनकाल में ही यह नौबत शुरु हुई। इसलिए आदिवासियों के बारे में अंग्रजों की नीति भारत सरकार से अलग दिखाई देती है। आजादी के बाद पंडित नेहरू ने इस मसले पर गहराई से विचार-विमर्श किया। आदिवासी समाज निश्चित रुप से अपनी संस्कृति, भाषा आदि को लेकर भिन्नता रखता है। लेकिन उसे म्युझियम में स्थापित नहीं कर सकते। जनजातिय लोगों के अवलोकन को निगल जाने की अनुमति दी जा रही था। पंडित नेहरु के अनुसार कारोबार देकर समाज में समाहित करना गलत था।

आदिवासियों का विकास-

तत्कालीन शासन विकास का मॉडल प्रस्तुत करते हुए आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करता था। आदिवासी संस्कृति को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए था। नेहरुवादी दृष्टिकोण ने मुलभूत रुप से दो मानदंड निहित थे- जनजातिय क्षेत्रों का विकास और उनका अपने रास्ते से विकास करना। तरक्की का मतलब धीरे-धीरे उन लोगों को अपना लेना था। जो भी परिवर्तन हो वह उनके निर्णय के अनुसार जनजातिय बुद्धी और चेतना विकसित करनी थी। देश की संस्कृति सामाजिक, राजनीतिक जीवन उदय सामान्य के बराबर हिस्सेदारी आदि बाते विकास में निहित थी, परंतु आदिवासियों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया।

हिंदी कथा साहित्य में आदिवासी विमर्श

आदिवासी समाज के बारे में विचार-विमर्श करने का प्रयास किया गया। साहित्य में आदिवासी समाज को केंद्र में रखकर काफी लिखा गया। यह साहित्य आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों ने मिलकर लिखा है। गोपीनाथ महंती का 'अमृत संतान,', 'परजा', मनमोहन पाठक का 'गगन घटा घहरानी', विनोदकुम ार का 'समर शेष है,' श्री. प्रकाश मिश्र का 'जहाँ बास फुलता है', राकेशकुमार सिंह का 'जो इतिहास में नहीं है', पुन्नी सिंह का 'सहराना', हरिराम मीणा का 'धुनी तपे तीर,' महाश्वेता देवी का 'जंगल के दावेदार', रणेंद्र का 'ग्लोबल गाँव के देवता,' महुआ माँझी का 'मरंग घोड नीलकंठ हुआ' आदि आदिवासिओं को केंद्र में रखे गये उपन्यास है। इसके माध्यम से आदिवासी समाज की समस्या तथा बिडम्बनाओं को गहराई से समझा गया।

आदिवासी विमर्श की गूंज सुनाई देती है। इसकी

वास्तविकता को जानने के लिए इतिहास के पन्नों में साहित्य पढ़ना होगा। वास्तविकता को जानने के लिए आदिवासी विमर्श की जमीनी हकीकत को जानना होगा। आदिवासियों के जीवन, समाज को अलग नजरिए से देखना होगा। श्रीप्रकाश मिश्र ने 'समकालीन आदिवासी उपन्यासों की दशा व दिशा' में आदिवासी लेखकों का वर्णन किया है। समकालीन आदिवासी उपन्यासों से आदिवासियों का जीवन कितना अलग है, सिद्ध किया है। डॉ. आदित्य प्रसाद सिंह ने 'एक उलगुलान की यात्रा कथा' में आदि मानव का संक्षिप्त इतिहास दिया है। प्रारंभिक जीवन प्रवासी जीवन और खाना बदोष, जिसके कारण समाज का विकास नहीं हुआ और अन्य क्षेत्रों के संपर्क में आने से आदि मानव कबिलाई जीवन जीने लगा। डॉ. सुरेश उजाला ने 'आदिवासी जीवन में वनों का महत्त्व' में वनों की भूमिका अदा की है। आदिवासियों का जीवन-मरण वनों से संबद्ध है। वनों की सुरक्षा आदिवासियों की अर्थव्यवस्था को गति और संस्कृति को बढावा देता है। आदिवासियों की परंपरागत मान्यताएँ, प्रथाएँ, लोककथा, लोकगीत, लोकनृत्य, लोकसंस्कृती आदि को रक्षा मिलती है। बिपीन तिवारी ने 'साहित्य के विमर्श में आदिवासी समाज' में देश की प्रगति के लिए आदिवासियों की स्थिति का साथ आवश्यक है और आदिवासियों की वास्तविकता सामने लाना जरुरी है। डॉ. तारीक असलम ने 'आदिवासी समाज का जीवंत दस्तावेज- आमचो बस्तर' में आदिवासी समाज को केंद्र बनाया है। आदिवासी समाज को प्रखरता से पाठक के सामने रखा है। केदारप्रसाद मीणा ने 'आदिवासियों का जमीनी राजनीतिक संघर्ष' में झारखंड के आदिवासी समाज के पहलुओं का वर्णन किया है। आदिवासी समाज में पनपती बुराइयाँ, अंधविश्वास, स्त्रियों की स्थिति का बखूबी वर्णन किया है। शाम बिहारी शाम लाल द्वारा लिखित 'आदिभूमि धारदार लडाई का भोतरा अंत है' में आदिवासियों और सरकारी सत्ताधारियों के संदर्भ में बोडा समाज के दुख दर्द और हकीकत को सामने लाया है।

आदिवासी जीवन को साहित्य द्वारा अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। आज भी आदिवासी हाशिये पर है। उनकी जीवन की समस्याओं को शब्दबद्ध करते हुए पाठकों के सामने रखना जरुरी है।

खरीददारी

एक बार बंटी चेन्नई गया और वहाँ अपने तामिळ दोस्त के घर जा कर ठहरा। अगले दिन वह बाजार में खरीददारी के लिए अकेले ही चल पडा, इसके मित्र ने कहा कि, ''जब तुम खरीददारी करोगे तो जो भी सामान खरीदोगे उसकी कीमत जितनी दुकानदार कहेगा तुम उसे कहना कि इसका आधा दूँगा,'' बंटी बाजार में पहुँच गया, उसने एक स्टेरिओं की कीमत पुछी तो दुकानवाले ने कहा, ''2000 रुपये'' बंटी ने कहा, ''मैं 1000 रुपये दूँगा ''दुकानवाले कहा, साहब! 1800 रुपये में दे सकता हूँ! इसपर बंटी ने कहा, ''900 रुपया'' दुकानवाले ने कहा, बस! अब लास्ट रेट 1500 रुपये लगेगा! बंटी ने कहा, ''750 रुपये''

इसपर दुकानदार ने चिडकर कहा, मैं आपको यह स्टेरिओ मुफ्त में ही दे देता हूँ। बंटी ने कहा, मैं इसे तभी मुफ्त मे लूंगा अगर तुम इसके साथ और एक स्टेरिओ दोगे।

प्रसंग/व्यंगरचना (तीन बंदर)

श्री. पी. एल. सावंत,
भारत संचार निगम लिमिटेड

पहला बंदर : मैं बुरा देखूँगा नहीं।
दूसरा बंदर : मैं बुरा कहूँगा नहीं।
तिसरा बंदर : मैं बुरा सुनूँगा नहीं।
तीनों बंदर : (एकसाथ) यदि आपको ऐसा लगता है तो वह गलत हैं। कितने सालों से हम यही करते आ रहे हैं। अब हम इससे छुटकारा चाहते हैं।
पहला बंदर : इसलिए, अब मैं बुरा देखूँगा, मतलब, मैं सब कुछ देखूँगा। तभी तो मुझे पता चलेगा की बुरा क्या है?
दुसरा बंदर : और मैं बुरा कहूँगा । क्योंकि मुझे जानना हैं, कि क्या बुरा है? लेकीन अगर मैं चुप रहा तो मुझे पता कैसे चलेगा की बुरा क्या है?
तिसरा बंदर : और मैं भी बुरा सुनूँगा। मतलब, मैं सब कुछ सुनूँगा और फिर तय करूँगा की अच्छा क्या है और बुरा क्या है।
काल : (तालियों के साथ प्रवेश करता हुआ) बहुत खूब। बहुत खूब।
तीनों बंदर : (एकदम से) तुम कौन? यहाँ कैसे और क्या कर रहे हो?
काल : मैं काल हूँ। त्रिकाल। भूत-भविष्य-वर्तमान, मैं सदैव आपके साथ होता हूँ। उस क्षण भी था और इस क्षण भी हूँ।
पहला बंदर : उस क्षण भी? मतलब,
काल : मतलब, जिस क्षण आप तीनों ने बुरा ना देखने का, बुरा ना कहने का, और बुरा ना सुनने का निश्चय किया उस समय भी मैं वहाँ था और इस पल भी जब आप अपने निश्चय से मुक्त होने की बात कर रहे हो इसका भी मैं साक्षी हूँ।
दूसरा बंदर : पर तुम्हें साक्षी होने का प्रयोजन क्या है?
काल : प्रयोजन है। कारण यदि मैं ना रहूँ तो कुछ भी सुसंगत नहीं होगा।
तिसरा बंदर : समझें नहीं, जरा ठीक से समझाइए।
काल : हाँ। बताता हूँ, आपको यह बूरी बातों को त्यागने का मंत्र महात्माजी ने दिया था उस वक्त का मैं और इस वक्त का मैं एक ही हूँ। मुझ में कोई फर्क नहीं हुआ है। मेरी गती और निती वही हैं। जो परिवर्तन हुआ है वो आप तीनों में और परिस्थितियों में है।
पहला बंदर : अच्छा हुआ तुम्हीसे मुलाकात हो गयी।
काल : नहीं-नहीं, मुझसे मुलाकात नहीं हुई। मैं तो निरंतर संपूर्ण रहता हूँ, सिर्फ मौन रहता हूँ।
दूसरा बंदर : फिर अभी क्यों बात की आपने?
काल : मौन भी थक जाता है। उसे भी विश्राम की आवश्यकता होती है।
पहला बंदर : तुम परिस्थिती के बारें में बोल रहे थे।
काल : हाँ। आइए, मेरे कंधो पर बैठिए । मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ।

(प्रसंग बदल)
(महात्मा पंचा ओढकर प्रार्थना पूरी करते है, इतने में

काल के आगमन की प्रचिती होती हैं। उसकी तरफ बिना देखे अपने काम में व्यस्त रहते हुए)

महात्मा : बोलो, क्या बात है? तुम्हे पीछे मुड़ना पडा?

काल : इन तीनों को मुक्ती चाहिए।

महात्मा : मेरी शक्ति नहीं थी।

काल : लेकीन इनकी आपसे भक्ति थी ।

महात्मा : यह तुम्हारी कोई युक्ति लगती हैं। बोलो क्या कहते है ये?

काल : उनके ही मुहँ से सुनेंगे। बोलो आप, एक के बाद एक बोलो।

पहला बंदर : मुझे बुरा देखाना है।

दुसरा बंदर : मुझे बुरा कहना है।

तिसरा बंदर : मुझे बुरा सुनना है।

महात्मा : अच्छा! तुम इनको वर्तमान के वास्तव का दर्शन करवाओ, फिर क्या करना है वो ये ही तय कर लेंगें। (महात्मा अंतर्धान हो जाते है)

काल : चलो! (पुनः तीनों बंदर काल के कंधो पर बैठते हैं)

(प्रसंग बदल)

(एक युवक, एक युवती पर चौराह के बीच में चाकू से वार कर रहा है)

काल : देखो! यह वर्तमान का वास्तव।

पहला बंदर : वो युवक उस युवती पर चाकू से वार कर रहा है।

काल : उसका उस युवती से प्रेम है।

दूसरा बंदर : वर्तमान में प्रेम व्यक्त करने की ऐसी रीत है क्या?

काल : नहीं! प्रेम व्यक्त करने की ऐसी रीत नहीं होती?

तिसरा बंदर : फिर, ये क्या हो रहा है? यह सब लोग क्या तमाशा देख रहे है?

काल : उनका प्रेम एक तरफा है। युवती का युवक से प्रेम नहीं है। और युवती युवक को प्रतिसाद नहीं दे रही। इसलिए युवक हिंस्र हो गया हैं।

पहला बंदर : प्रेम हिंस्र नहीं होता। मैं यह देख नहीं सकता। (आँखे बंद कर लेता है) मैं बुरा नहीं देखूँगा!

दूसरा बंदर : मैं बुरा नहीं कहूँगा।

तिसरा बंदर : मैं बुरा नही सुनूँगा।

काल : मतलब, आप कुछ भी नहीं करेंगे?

तीनों बंदर : हम क्या कर सकते हैं?

काल : जो महात्मा को अपेक्षित था।

तीनों बंदर : जरा समझाओ।

काल : बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, और बुरा मत देखो इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी घटना घटते हुए उसे प्रेक्षकों की तरह देखने की बजाए उसका जोरदार विरोध करो और उस बुराई को रोको। भले उसके लिए फिर आपको बुरा सुनना और बुरा कहना पड़े तो भी चलेगा।

तीनो बंदर : हम समझ गये, हम शीघ्र ही कृती करते हैं।

(तीनों बंदर युवती की सहायता के लिए आगे बढ़ते है।)

जैतापुर परमाणू परियोजना

प्रकल्पपूर्व कार्य

प्रस्तुति : **मीनाक्षी दास**
उप प्रबंधक

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के औद्योगिक विकास एवं जमीन के उपयोग के संबंध में 1995 में एक निर्णय जारी किया था, जिसके तहत जैतापूर और उसके नजदीकी इलाकों की 2000 हेक्टर जमीन परमाणु परियोजना के लिए आरक्षित है।

अक्तूबर 2005 में भारत सरकार ने जैतापूर परमाणु परियोजना को सैद्धांतिक रुप में मान्यता प्रदान की। एनपीसीआयएल ने अक्तूबर 2005 में जिलाधिकारी, रत्नागिरी के पास भूसंपादन की अर्जी दाखल की। मार्च 2010 को भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण हुई और जिला प्रशासन ने जमीन एनपीसीआयएल के नाम करके हस्तांतरण किया।

जमीन मिलने के तुरंत बाद मिट्टी परिक्षण का कार्य शुरू हुआ। मिट्टी परिक्षण के लिए कुल 65 बोअरहोल्स किए गए और मिट्टी और पत्थर के नमूने, बक्सो में सूचीबद्ध करके रखे हैं।

वर्ष 2011-12 में प्रकल्प स्थल के 691 हेक्टर जमीन को 3.300 किमी लंबाई की आर.सी.सी. दीवार

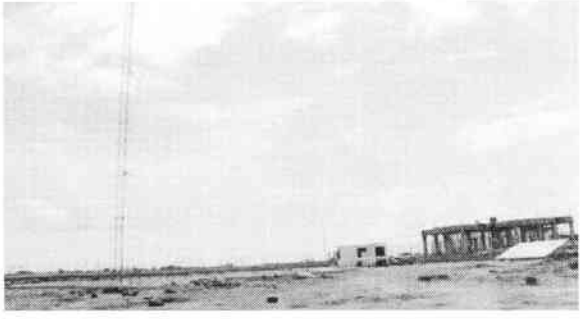

और 12 किमी लंबाई के चेनलिंक फेन्सिंग का कार्य पूरा किया गया। आज प्रकल्पस्थल की सीमाएं चारो और से सुरक्षित हैं। प्रकल्पस्थल की सुरक्षा के लिए बार के प्रवेशद्धार पर एक वाच टॉवर का निर्माण किया गया है।

अभी जैतापूर की मुख्य परियोजना की रुपरेखा निश्चित होने में वक्त है, जिसके बाद ही मुख्य परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके दौरान भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से 26 नवंबर 2010 को जेएनपीटी को पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त हुई है तथा 3 दिसंबर 2010 को सी.आर.जैड. क्लीअरन्स मिला है। इसके मद्देनजर एनपीसीआयएल मुख्य परियोजना का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले जो प्रि प्रोजेक्ट कार्य पूर करना जरुरी है, वह शुरु कर दिया गया है। परियोजना स्थल पर मौसम विज्ञान टॉवर का निर्माण किया गया है और मौसम विज्ञान प्रयोगशाला में मौसम विषयक जानकारी जैसे कि तापमान, वायु की दिशा एवं वेग, बारिश की मात्रा, संग्रहित की जा रही है। मौसम विषयक प्रयोगशाला का भवन निर्माण कार्य 50 प्रतिशत पूरा हुआ है। गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला-तथा-कांकीट टेस्टींग प्रयोगशाला-तथा प्रशासन

भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। उम्मीद है इस वर्ष 2013 के अंत तक यह भवन कार्यान्वित हो जाएगा।

परियोजना स्थल पर 4 किमी रास्ते का निर्माण पूरा किया गया है।

11 केव्ही बिजली सप्लाय कार्यान्वित किया गया है। इस दौरान एनपीसीआयएल द्वारा स्थानीय जनता में परमाणू परियोजना के बारे में जानकारी देने के लिए प्रयास किए गए। स्थानीय समाचार पत्रों मे 'न्यूक्लीअर पॉवर मीथ्य व्हर्सेस रिऍलिटी'' ''अणुऊर्जा गैरसमज आणि वस्तुस्थिति'' और परमाणु बिजलीघर के आरेखन, निर्माण, प्रचालन में सुरक्षा के उपाय इस विषय पर लगभग प्रतिमास एक लेखमाला प्रकाशित करते आए हैं। रत्नागिरी शहरमें 2011 जुलाई से एक सूचना केंद्र खोला है। रत्नागिरी शहर और आसपास के प्रदेश से लगभग 2196 (जनवरी 2013 से जुलाई 2013 तक) लोगों को सूचना केंद्र मे आमंत्रित करके, परमाणु ऊर्जा के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया। अगस्त 2012 से परियोजनास्थल पर भी सूचना केंद्र चलाया है। यहाँ पर परियोजना के आसपास के गाँव से 416 (जनवरी 2013 से जुलाई 2013 तक) से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया ।

इसके अलावा रत्नागिरी के संपर्क कार्यालय में कार्यालय अभियंताओंके जिनको परमाणु बिजलीघर के निर्माण एवं प्रचालन का 20 साल से जादा अनुभव है, रत्नागिरी जिले की अभियांत्रिकी पदवी, पदवी का तथा अन्य महाविद्यालयों के विज्ञान मेले में व्याख्यान दिया। इसके अलावा विज्ञान प्रदर्शन आयोजित करके एनपीसीआयएल का कार्य और परमाणु विज्ञान के बारे में विस्तृत जानकारी देने का काम जारी रखा है। गत दो वर्षों में इस तरह के 20 से ज्यादा कार्यक्रम किए गए। संपर्क कार्यालय मे ही रत्नागिरी के डॉक्टरों के लिए दि. 27-1-2013 को 'रेडिएशन और कॅन्सर' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

सुचारू रुप से किए गए जनजागरण के प्रयास से लोगों को परमाणु बिजली के बारे में यही जानकारी मिली। इस प्रयास से उनका जैतापूर परमाणू बिजलीघर के बारे में रवैया बदलता हुआ नजर आ रहा है।

वर्ष 2011 से एनपीसीआयएल ने कार्पोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलीटी के काम में विशेष ध्यान देने का उत्तरदायित्व उठाया। इसके तहत जैतापूर परमाणु परियोजना के संपर्क कार्यालय द्वारा यथा संभव कार्य शुरू किया है। उल्लेखनीय कार्य इस प्रकार है।

1) मार्च 2012 से परियोजना के 16 किमी परिसर में बसे दुरदराज के 22 गाँवो में मोबाईल क्लिनिक सेवा एक एनजीओ द्वारा देने की व्यवस्था की गयी है। इसका लाभ दिसम्बर 2013 तक 22138

मरीजो तक पहुँचा है।

2) परियोजना के 10 किमी अंतराल में आनेवाले गॉवो में 70 सौरऊर्जा पथदीपक लगाए हैं।

3) दस बोअरवेल का निर्माण किया है।

4) परियोजना स्थल पर कुवेशी गाँव के महिला मंडल को (जिसका परिचालन प्रकल्प पीडित कुटुंब की महिला करती है) कैंटीन चलाने का ठेका दे कर महिला सशक्तीकरण की दिशा में कदम रखा है।

जैतापूर परमाणु परियोजना अभी से ही पर्यावरण समृद्धीकरण के काम मे लगी है। वर्ष 2013 मे परियोजना कार्यस्थलपर 1100 वृक्ष लगानेका काम शुरु किया है, जो लगातार चलता रहेगा।

अक्तुबर 2005 से जून 2012 तक जैतापूर परम णु परियोजना का संपर्क कार्यालय रत्नागिरी शहर में एक किराए पर लिए हुए मकान में था। रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनके नजदिक एक अत्याधुनिक संपर्क कार्यालय के भवन का निर्माण जून 2012 में पूर्ण हुआ। इस भवन में, ऐसी संपर्क प्रणाली, कँटीन और अन्य सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जो कि एनपीसीआयएल के हर कार्यालय में उपलब्ध होती है। जबसे नए भवन में कार्यालय आया है, यहाँ के कर्मचारी नयी सोच और नई उम्मींद से परियोजना के कार्य में जुट गए हैं।

5) चव्हाणवाडी (ग्रामपंचायत निवेली, ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी) क्षेत्र में 1.7 किमी रास्ते का डामरीकरण, बरसाती गटर का कार्य पूर्ण किया।

6) निवेली ग्रुप ग्रामपंचायत के क्षेत्र में पांच जिला परिषद के प्राथमिक पाठशाला तथा पडवे और अणसुरे स्थित माध्यमिक पाठशालाओ में कम्प्युटर लगवाये है।

नेल्सन मंडेला

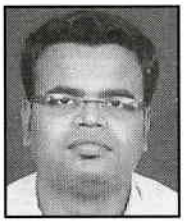

आशिषकुमार श्रीवास्तव
बैंक ऑफ इंडिया

अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग के विचारों को मानने वाले, दक्षिण आफ्रिका के गाँधी नेल्सन मंडेला का जन्म बासा नदी के किनारे ट्रांस्की के मवेंजो गाँव में 18 जुलाई, 1918 को हुआ था। माता का नाम नोमजामो विनी मेडीकिजाला था, वे एक मैथडिस्ट थीं। पिता का नाम गेडला हेनरी था। वे गाँव के प्रधान थे। उन्होने बालक का नाम रोहिल्हाला रखा, जिसका अर्थ होता है पेड की डालियां तोडने वाला या प्यारा शैतान बच्चा। बारह वर्ष की अल्प आयु में उनके सर से पिता का साया उठ गया था। नेल्सन मंडेला की प्रारंभिक शिक्षा क्लार्कबेरी मिशनरी स्कूल में एवं स्नातक शिक्षा हेल्डटाउन में हुई थी। 'हेल्डटाउन' अश्वेतों के लिए बनाया गया विशेष कॉलेज था। इसी कॉलेज में मेंडला की मुलाकात 'ऑलिवर टाम्बो' से हुई, जो जीवन भर उनके दोस्त एवं सहयोगी रहे। 1940 तक नेल्सन मंडेला और ऑलिवर ने कॉलेज कैंपस में अपने राजनैतिक विचारों और क्रियाकलापों से लोकप्रियता अर्जित कर ली थी। कॉलेज प्रशासन को जब इसकी खबर लगीं तो दोनों को कॉलेज से निकाल दिया गया। मंडेला की क्रांति की राह से परिवार बहुत चिंतित रहता था। परिवार ने उनका विवाह करा कर उन्हें जिम्मेदारियों में बाँधने का प्रयास किया परंतु नेल्सन निजी जीवन को दरकिनार करते हुए घर से भागकर जोहान्सबर्ग चले गये। वहाँ उन्होंने सोने की खदान में चौकीदार की नौकरी की एवं वहीं अलेंक्जेंडरा नामक बस्ती में रहने लगे । इसके बाद उन्होंने

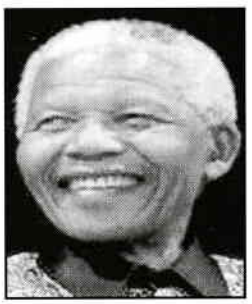

एक कानूनी फर्म में लिपिक की नौकरी की। जोहान्सबर्ग में ही उनकी मुलाकात 'वाटर सिसलु' और 'वाटर एल्बरटाइन' से हुई। नेल्सन के राजनीतिक जीवन पर इन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग' का गठन किया। 1947 में मंडेला इस संगठन के सचिव चुन लिये गए। इसके साथ ही उन्हें ट्रान्सवाल एएनसी का अधिकारी भी नियुक्त किया गया। इसी दौरान अफ्रिकन नेशनल कांग्रेस (ANC) के चुनावों में करारी हार का सामना करना पडा। कांग्रेस के अध्यक्ष को हटाकर किसी नये अध्यक्ष की मांग जोर पकडने लगी थी। यूथ कांग्रेस के विचारों को अपनाकर मुख्य पार्टी को आगे बढाने का विचार रखा गया। 'वाल्टर सिसलू' ने एक कार्ययोजना का निर्माण किया, जो अफ्रिकन नेशनल कांग्रेस द्वारा मान लिया गया। तत्पश्चात 1951 में नेल्सन को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया । नेल्सन ने 1952 में कानूनी लडाई लडने के लिए एक कानूनी फर्म की स्थापना की। नेल्सन की बढती लोकप्रियता के कारण उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्गभेद के आरोप में उन्हें जोहान्सबर्ग के बाहर भेज दिया गया। उन पर प्रतिबंध लगा दिया कि वे किसी भी बैठक में भाग नही ले सकते। सरकार के दमन चक्र से बचने के लिए नेल्सन और ऑलिवर ने एक एम प्लान बनाया। एम का मतलब मंडेला से था। निर्णय लिया गया कि कांग्रेस को टुकडों में तोडकर काम किया जाए तथा परिस्थिति अनुसार भूमिगत रहकर काम किया जाए। प्रतिबंध के बावजूद नेल्सन क्लिपटाउन

चले गये और वहाँ कांग्रेस के जलसों में भाग लेने । उन्होने वहाँ सभी संगठनों के साथ काम किया जो अश्वेतों की स्वतंत्रता के लिये संघर्ष कर रहे थे। आन्दोलन और नेल्सन जीवन संगी बन गये थे। एएनसी (ANC) ने स्वतंत्रता का चार्टर स्वीकार किया और इस कदम ने सरकार का संयम तोड दिया। पूरे देश में गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया। एएनसी के अध्यक्ष और नेल्सन के साथ पूरे देश से रंगभेद का आंदोलन का समर्थन करने वाले 156 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। नेल्सन और उनके साथियों पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। इस अपराध की सजा मृत्युदंड थी। सभी नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाया गया और 1961 में नेल्सन तथा 29 साथियों को निर्दोष घोषित करते हुए छोड दिया गया। सरकार के दमन चक्र के कारण नेल्सन का जनाधार बढ रहा था। रंगभेद सरकार आंदोलन तोडने का हर संभव प्रयास कर रही थी। इस बीच कुछ ऐसे कानून पास किये गये जो अश्वेतों के हित में नहीं थे। नेल्सन ने इन कानूनों का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान ही 'शार्पविले' शहर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियों की बौछार कर दी। लगभग 180 लोग मारे गये। सरकार के इस क्रूर दमन चक्र ने हथियार बंद लडाई लडने का फैसला लिया। एएनसी के लडाके दल का नाम 'स्पियर ऑफ द नेशन' रखा गया तथा नेल्सन को इसका अध्यक्ष बनाया गया। सरकार इस संगठन को खत्म करके नेल्सन को गिरफ्तार करना चाहती थी। जिससे बचने के लिए नेल्सन देश के बाहर चले गये और 'अदीस अबाबा' में अपने आधारभूत अधिकारों की मांग करने लगे। उसके बाद अल्जीरिया गये जहाँ गोरिल्ला तकनीक का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद मंडेला लंदन चले गये जहाँ उनकी मुलाकात फिर से 'ऑलिवर टॉम्बो' से हुई। लंदन में विपक्षी दलों के साथ मिलकर उन्होंने पुरी दुनिया को अपनी बात समझाने का प्रयास किया। एक बार पुनः वे दक्षिण अफ्रिका पहुँचे जहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नेल्सन को पाँच साल की सजा सुनाई गई। उन पर आरोप लगा कि वे अवैधानिक तरीके से देश छोडकर गये थे। सरकार उन्हे क्रांति का नेता नहीं मान रही थी। इसी दौरान सरकार ने 'लीलीसलीफ' में छापा मारकर एमके मुख्यालय को तहस-नहस कर दिया। एम के के सभी बडे नेता गिरफ्तार किये गये और मंडेला समेत सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मंडेला को 'रोबन द्वीप' भेजा गया जो दक्षिण अफ्रिका का कालापानी माना जाता है। 1989 को दक्षिण अफ्रिका में सत्ता परिवर्तन हुआ और उदारवादी नेता एफ डब्ल्यू क्लार्क देश के मुखिया बने। उन्होंने अश्वेत दलों पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिया। उन सभी बंदियों को रिहा कर दिया गया जिन पर अपराधिक मुकदमा नहीं चल रहा था। मंडेला की जिंदगी की शाम में आजादी का सूर्य उदय हुआ। 11 फरवरी 1990 को मंडेला पूरी तरह से आजाद हो गये। 1994 में देश के पहले लोकतांत्रिक चुनाव में जीत कर दक्षिण अफ्रिका के राष्ट्रपति बने। आमतौर पर छींटदार शर्ट पहनने वाले नेल्सन मंडेला मजाकिया मिजाज के बेहद हँसमुख व्यक्ति थे। 1993 में 'नेल्सन मंडेला' और 'डी क्लार्क' दोनों को संयुक्त रूप से शांती के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया। 1990 में भारत ने उन्हें देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारतरत्न से सम्मानिता किया। मंडेला, भारतरत्न पाने वाले पहले विदेशी हैं । मंडेला बच्चों को बहुत प्यार करते थे। 2002 में उनके पैतृक गाँव में क्रिसमस की पार्टी में 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया था और तीन-

चार दिन तक खूब धमाचौकडी मचाई थी। मंडेला एक वकील और मुक्केबाज भी थे। 1998 में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि, मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं हेवीवेट मुक्केबाजी का विश्व चैम्पियन खिताब नहीं जीत पाया। जेल के दौरान परंपरा अनुसार हर कैदी को नम्बर से जाना जाता है। मंडेला का नम्बर था 46664, ये नम्बर आज भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में धडक रहा है। दक्षिण अफ्रिका के बीमार पडे कपडा उद्योग में प्रांण फूंकने के लिए नए लेबल को आकार दिया गया और इसे 46664 apparel के नाम से नेल्सन मंडेला को समर्पित किया गया। 2002 में 46664 नामक एक संगठन बनाया गया, जिसने एड्स और एचआईवी के प्रति युवाओं में जागरूकता लाने का अभियान चलाया। दुनिया भले ही उन्हें नेल्सन मंडेला के नाम से जानती हो किन्तु उनके पाँच और नाम भी थे। माता-पिता द्वारा रखा पहला नाम रोहिल्हाला, नेल्सन नाम प्राथमिक विद्यालय के एक अध्यापक द्वारा रखा गया था। दक्षिण अफ्रिका में उन्हें मदीबा नाम से जाना जाता है। कुछ लोग उन्हे टाटा या खुलू भी कहते थे, अफ्रिकी भाषा में जिसका अर्थ होता है क्रमशः पिता और दादा होता है। मंडेला को 16 वर्ष की उम्र में डालीभुंगा नाम से भी पुकारा जाता था। दक्षिण अफ्रिका में रंगभेद विरोधी आंदोलन के पुरोधी, महात्मा गाँधी से प्रेरणा लेने वाले देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का लम्बी बीमारी के बाद 5 दिसंबर 2013 को निधन हो गया। उनके निधन की खबर उस समय आई जब लंदन के एक हॉल में उनके जीवन पर बनी फिल्म 'मंडेलाः लांग वॉक टू फ्रीडम' का प्रीमियर चल रहा था। प्रीमियर समाप्त होने पर सभी को यह सूचना फिल्म के निर्माता अनंत सिंह ने दी। मंडेला अभूतपूर्व और वीर इंसान थे। वो ऐसी शख्सियत थे जिनका जन्मदिन नेल्सन मंडेला अंर्तराष्ट्रीय दिवस के रूप में उनके जीवन काल में ही मनाया जाने लगा था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा था कि, मंडेला संयुक्त राष्ट्र के उच्च आर्दशों के प्रतीक हैं। डेला को ये सम्मान शांति स्थापना, रंगभेद उन्मूलन, मानवाधिकारों की रक्षा और लैंगिग समानता की स्थापना के लिए किये गये उनके सतत प्रयासों के लिए दिया गया है। आज भले ही मंडेला इस नश्वर संसार में नही हैं, लेकिन उनके त्याग और संघर्ष की महागाथा पूरी दुनिया को प्रेरणा देने के लिए जीवित है। नेल्सन मंडेला ने एक ऐसे लेकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कल्पना की जहाँ सभी लोग शांति से मिलजुल कर रहें और सबको समान अवसर प्राप्त हो। उनका कहना था कि, "जब कोई व्यक्ति अपने देश और लोगों की सेवा को अपने कर्तव्य की तरह निभाता है तो उन्हें शांति मिलती है। मुझे लगता है कि मैने वो कोशिश की है और इसलिए मैं शांति से अंतकाल तक सो सकता हूँ।

एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड व इंटरनेट बैंकिंग के दुरुपयोग द्वारा धोखाध़डी में बढ़ोतरी

ग्राहकों को सतर्क रहने की जरुरत

- श्री. दिलीप पुराणिक
वरिष्ठ प्रबंधक,
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,
बैंक ऑफ इंडिया

हाल ही में बैंकों द्वारा यह सूचित किया जा रहा है कि कोई अनजान व्यक्ति फोन पर बैंक अधिकारी के रुप में बात करके उनके एटीएम कार्ड, एटीएम पिन, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग युजर आई.डी., पासवर्ड की निजी एवं गुप्त जानकारी हासिल कर रहा है, और जैसे ही यह जानकारी प्राप्त होते ही कुछ मिनिटों में ग्राहकों के खाते से भारी रकम, राशी एटीएम द्वारा या इंटरनेट द्वारा आहरित की जाती है और ग्राहक के खाते से सारी रकम निकाली जाती है.

कोई भी बैंक अपने ग्राहक से इस प्रकार की निजी एवं गुप्त जानकारी नहीं पूछती. अतः ग्राहकों ने सतर्क रहना आवश्यक है कि, कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को अपने एटीएम कार्ड, एटीएम पिन, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकींग युजर आईडी., पासवर्ड आदि की निजी एवं गुप्त जानकारी फोन पर, या ई-मेल पर या प्रत्यक्ष में न दें और उसे गुप्त ही रखें, कुछ अंतराल से अपना पिन या पासवर्ड बदलते रहना जरुरी है. आज बैंकों द्वारा एस.एम.एस. द्वारा एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किये गये आर्थिक व्यवहारों की सूचना तुरंत ग्राहकों को दी जाती है, जिससे ग्राहकों को धोखाधडी के व्यवहारों का तुरंत पता चल सकता है.

अगर ऐसी दुरुपयोग या धोखाधडी की कोई घटना हो, तो तुरंत अपने नजदीकी बैंक शाखा में इसकी सूचना देकर अपने खाते से सारी रकम निकाल लें या अपना खाता 'फ्रीज' करें ताकि आपके खाते की राशि सुरक्षित रहे. इसकी सूचना पुलिस को भी तुरंत दी जानी चाहिए ताकि जिस नम्बर से फोन आया हो उसके जरिये पुलिस को छान-बीन करके गुनहगारों को पकडने में मदद मिले.

इस प्रकार के गुनाहों को सायबर क्राईम के जगत में 'फिशिंग' या 'व्हिशिंग' के नाम से जाना जाता है. इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये सभी बैंकों द्वारा ग्राहकों को सतर्क रहने का अनुरोध करते हुए, शाखा परिसर और एटीएम के अंदर भी ऐसी सूचना को प्रदर्शित किया जाना चाहिए जिसके द्वारा ग्राहक सतर्क रह सकते है.

दोस्ती

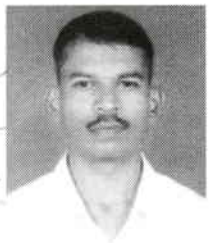

श्री. नितीन पलंगे
कोंकण रेल्वे,
रत्नागिरी

एक दिन दुःखीराम निकला दोस्ती करने।
सामने देखा सुखीराम
खडी धूप में पत्थर तोडते पसीनों से भरा।
दुःखीराम ने सुखीराम से पूछा,
क्या तूम मुझ से दोस्ती करोगे।
सुखीराम ने समझदारी से कहा।
कहाँ मै और कहाँ वो सूरज,
जो अपनी तेज किरणों से मुझे कष्ट पहुँचाता है।
मुझ से बलवान तो सूरज है।
तुम उसी से ही दोस्ती करना।
सूरज ने कहा वो तो ठीक है,
लेकिन बादलों के छा जाने से मेरा मार्ग रुक जाता है।
मुझसे बलवान तो बादल है,
तुम उसी से ही दोस्ती करना।

बादलों ने कहा वो तो ठीक है,
लेकिन हवा का हलकासा झोका भी मुझे दूर लेकर जाता है।
मुझसे बलवान तो हवा है,
तुम उसी से ही दोस्ती करना।

हवा ने कहा वो तो ठीक है,
लेकिन उँचे पर्वत मेरा मार्ग रोकते हैं।
मुझसे बलवान तो उँचा पर्वत है,
तुम उसी से ही दोस्ती करना।

पर्वतों ने कहा वो तो ठीक है,
लेकिन चूहा मुझे खरोंच कर आरपार हो जाता है।
मुझ से बलवान तो वो चूहा है,
तुम उसी से ही दोस्ती करना।

चूहा ने कहा वो तो ठीक है,
लेकिन पत्थरों के सामने मेरी एक नहीं चलती।
मुझे से बलवान तो पत्थर है,
तुम उसी से ही दोस्ती करना।

पत्थरों ने कहा वो तो ठीक है,
लेकिन ये सुखीराम मुझे अपने बल और बुद्धि का उपयोग करके हथौडे से तोड देता है।
मुझसे बलवान तो सुखीराम है,
तुम सुखीराम से ही दोस्ती करना।

तात्पर्य : ''मेहनत हमेशा रंग लाती है।'' और
''दोस्ती हमेशा बल और बुद्धि का सही दिशा में उपयोग करनेवालों से होती है।''

■■■

''जीवन''

''ग्यारह सितम्बर'' का दिन सूरज के किरणों में
चंद्रमा के साथ,
गणेश-अल्लाह का त्योहार
मनाए एकता के साथ।

शक नहीं दिल में
ईश्वर अल्लाह एक है,
सारे प्राणियों मे से अच्छा
मनुष्य का जनम है।
दिल को जरासा बड़ा करो
गरीब-गरजू को दान करो,
अपने जीवन का मक्सद
इस मार्ग से पूरा करो।

क्या लाया जो आप
देना चाहते है,
मिल गया है सब ईशसे
उनका उनको अर्पण करो।

इस भावना से जियोगे
ईश्वर को अपनाओगे,
कोई दिक्कत नही पाओगे
राम-रहिम के याद में।

अंत में जाना है खाली हाथों से
कोई नही साथ मे आयेगा,
अच्छे करम की झोली भरकर
अकेले ही जाएगा।

इस दुनिया मे जीना है
ईश्वर-अल्लाह को, हरपल याद करो,
अपने जीवन की नौका को
संसार समंदर पार करो।

''मतलबी राज''

''अस्सी हजार'' तनखाँ चाहिए,
करते है, सेवा समाज की।
समाज से कोई लेन-देन नही,
चुनाव में भीक मॉगते है।

नही कोई शिक्षा की जरुरत,
नही कोई परिक्षा।
मतलबी बाजारु में,
धन की अपेक्षा।

समाज सेवा भगवान की पूजा है,
बिना फल से करनी चाहिऍ।
जानते नही है ये मतलबी,
मलाई चॉटते रहते हैं।
लगाम लगाना आसान है,
समाज के मत परिवर्तन से।
लेकिन भूल गया है समाज,
अपनी ताकतों से।

जल रही है दुनियॉ
जलाने वाले यही है।
शराब के लिए गेहूँ को
सडाने को मजबूर है।

कितना कमायेंगे यह मतलबी
उसे तो कोई सीमा है?
हिसाब किताब का लेखा लेकर
अकेले को ही जाना है।

कब सुधरेंगे ये मतलबी,
डूब गये पापों में।
भूल गये वह शासन को
और भी कोई शासन है।

पी. जी. डोंगरे
प्रवर श्रेणी लिपिक, आकाशवाणी, रत्नागिरी

समिति बैठक की झलकियाँ...

राजभाषा रत्नसिंधु ई-पत्रिका का विमोचन

कोर कमेटी सदस्य

सतीश रानडे

जनार्दन शिंदे

पुरुषोत्तम डोंगरे

लक्ष्मीकांत भाटकर

गजानन करमरकर

हिंदी दिवस पुरस्कार वितरण समारोह

अध्यक्ष महोदय श्री. वी. वी. बुचे तथा श्रीयुत धीरेंद्र सिंह मुख्य प्रबंधक
प्र.का.केकरकमलोसे पुरस्कार वितरण

श्रीमती मनिषा पाटील- कोंकण रेल्वे

श्रीमती निलम हिर्लेकर- डाक कार्यालय

श्रीमती वृषाली पेठे- बैंक ऑफ इंडिया

काव्य पठन करते समय श्रीमती बागवे, डाक कार्यालय

हिंदी दिवस पुरस्कार वितरण समारोह

अध्यक्ष महोदय श्री. वी. वी. बुचे तथा श्रीयुत धीरेंद्र सिंह मुख्य प्रबंधक
प्र.का.केकरकमलोसे पुरस्कार वितरण

श्री. संदिप केळकर- कोंकण रेल्वे

श्री. सुमुख घाणेकर -डाक कार्यालय

श्रीमती प्रज्ञा बागवे- डाक कार्यालय

सुश्री उमादेवी शिंदे -डाक कार्यालय

श्रीयुत चित्रसेन महतो - बैंक ऑफ महाराष्ट्र

श्रीमती वैशाली सुतार -डाक कार्यालय

समिति द्वारा सदस्य कार्यालयों के लिए यूनिकोड प्रशिक्षण का आयोजन

मार्गदर्शन करते समय श्री. वी. आर. पराते, मुख्य प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया. साथ में श्री. पी. पी. जोशी मानव संसाधन विभाग तथा श्री. जनार्दन शिंदे - कोंकण रेल्वे व सदस्य सचिव रमेश गायकवाड

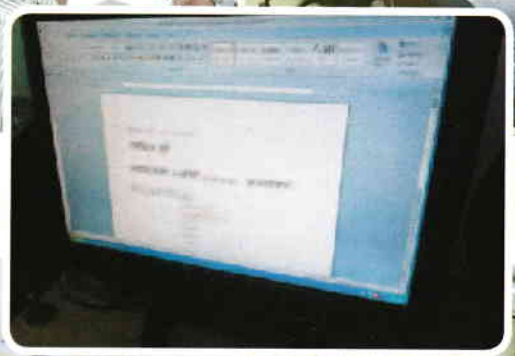

कोर कमेटी द्वारा सदस्य कार्यालयों का दौरा

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी

वित्तीय सेवाएँ विभाग, राजभाषा मॉडल

"राजभाषा प्रयोग- आपसी संवाद - सार्थक दिशा"

आयकर, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय, रत्नागिरी

डाक अधिक्षक कार्यालय, रत्नागिरी

भारतीय जीवन बीमा निगम, रत्नागिरी

आकाशवाणी केंद्र, रत्नागिरी

वैनगंगा कोकण ग्रामीण बैंक, रत्नागिरी